



मास्टर परिपत्र

पीएफआरडीए/मास्टर परिपत्र/2024/04/पीओपी-02

23 जनवरी, 2023
(7 जून, 2023 तक अद्यतन)
(7 अगस्त, 2023 तक अद्यतन)
(12 अक्टूबर, 2023 तक अद्यतन)
(10 अप्रैल, 2024 तक अद्यतन)

प्रति,

सभी उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) और एनपीएस न्यास ^[a]

महोदया/महोदय,

मास्टर परिपत्र - अपने ग्राहक को जाने/धन शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (केवाईसी/एएमएल/सीएफटी) करने के संबंध में दिशानिर्देश

- यह परिपत्र, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (पीएफआरडीए अधिनियम) की धारा 14(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण द्वारा विनियमित और प्रशासित पेंशन योजनाओं के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत अधिसूचित नियमों के कार्यान्वयन के लिए जारी किया गया है।
- इस मास्टर परिपत्र में "अपने ग्राहक को जानें/धन शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने (केवाईसी/एएमएल/सीएफटी) पर दिशानिर्देश" विषय पर मौजूदा अनुदेशों को एक स्थान पर समेकित किया गया है।
- मास्टर परिपत्र में समेकित अंतर्निहित परिपत्रों की सूची - **अनुलग्नक I (Annexure I)** में रखी गई है और समय-समय पर रद्द किए गए परिपत्रों की सूची और संग्रहीत परिपत्रों की सूची **अनुलग्नक II (Annexure II)** में रखी गई है।

यह परिपत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(आशीष कुमार भारती)
महाप्रबंधक

विषय सूची	
भाग I	परिचय
भाग II	सामान्य दिशानिर्देश
भाग III	अपने ग्राहक को जाने/धन शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने (केवाईसी/एएमएल/सीएफटी) के संबंध में दिशानिर्देश
भाग IV	मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची - अनुलग्नक I (Annexure I)
	रद्द और संग्रहीत परिपत्रों की सूची - अनुलग्नक II (Annexure II)

मास्टर परिपत्र

अपने ग्राहक को जाने/धन शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने (केवाईसी/एएमएल/सीएफटी) के संबंध में दिशानिर्देश

भाग - 1

1.परिचय

- 1.1 इन दिशानिर्देशों को अपने ग्राहक को जाने/धन शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने (केवाईसी/एएमएल/सीएफटी) संबंधी दिशानिर्देश कहा जाएगा।
- 1.2 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में एक असंबद्ध स्थापत्य है जहां प्रत्येक कार्य पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त विभिन्न मध्यस्थों अर्थात पेंशन निधियों, अभिरक्षक, केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण (सीआरए), राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, न्यासी बैंक, उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) और वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) द्वारा निष्पादित किया जाता है। इसमें, सीआरए की भूमिका एनपीएस के सभी अभिदाताओं के लिए अभिलेखपालन, प्रशासन और ग्राहक सेवा कार्य करना है, जिसमें प्रत्येक अभिदाता को विशिष्ट स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संछा (प्रान) जारी करना, जारी किए गए सभी प्रान का डेटाबेस रखना और प्रत्येक अभिदाता के प्रान से संबंधित लेनदेनों को दर्ज करना शामिल है।
- 1.3 धन-शोधन एक ऐसी प्रक्रिया या गतिविधि है जिसके माध्यम से अपराध से अर्जित आय (यानी, अवैध रूप से अर्जित धन) को वित्तीय प्रणालियों (लेनदेन के माध्यम से) में परिवर्तित किया जाता है ताकि यह कानूनी रूप से अर्जित किया हुआ प्रतीत हो सके। पीएमएल अधिनियम की धारा 3 धन-शोधन के अपराध का निर्धारण करती है।
- 1.4 धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएल अधिनियम), उसकी धारा 11क और धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 (पीएमएल नियम) के प्रावधानों के अनुसार, रिपोर्टिंग संस्थाओं (रिपोर्ट कर्ता इकाई) को खाता-आधारित संबंध/ग्राहक-आधारित संबंध स्थापित करते समय लेनदेन के दौरान ग्राहक पहचान प्रक्रियाओं (सीआईपी) का पालन करना और सतत आधार पर उनके लेन-देनों की निगरानी करना अपेक्षित है।
- 1.5 पीएमएल अधिनियम की धारा 12 और धारा 12ए के प्रावधानों और पीएमएल (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2015 के नियम 9 के अनुसार एक धन शोधन निवारण तंत्र स्थापित करने और क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस (सीडीडी) कार्यक्रम तैयार करने और कार्यान्वित करने का दायित्व रिपोर्ट कर्ता इकाई पर लागू होता है। रिपोर्ट कर्ता इकाई के पास पीएमएल अधिनियम के प्रावधानों, एनपीएस, एनपीएस लाइट, अटल पेंशन योजना (एपीवाई) या प्राधिकरण द्वारा विनियमित / प्रशासित किसी अन्य पेंशन योजना के संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी नियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की उत्तरदायित्व होगी और उन्हें रिपोर्टिंग तथा अभिलेखों के रखरखाव सहित आवश्यक कार्रवाई करनी होगी।
- 1.6 सभी रिपोर्ट कर्ता इकाई पीएमएल अधिनियम और पीएमएल नियमों, विधिविरुद्ध क्रियाकलापों (निवारण) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 51क, समय-समय पर यथा संशोधित, के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाएंगे, जिसमें ऐसे संशोधन(संशोधनों) के अनुसरण में परिपत्रों/दिशानिर्देशों/निर्देशों के माध्यम से जारी प्रचालनात्मक अनुदेश शामिल हैं।

भाग II

2. सामान्य दिशानिर्देश :

2.1 मध्यस्थ/इकाई का अनुपालन दायित्व मास्टर परिपत्र तक ही सीमित नहीं, बल्कि उसके साथ लागू अन्य कानूनों से भी सम्बद्ध होगा।

2.2 यह मास्टर परिपत्र इसके जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा, किन्तु उसके (पूर्व में जारी किए गए परिपत्रों) के लागू होने की स्थिति में उनके संचालन और प्रभाव के प्रति पूर्वाग्रह से तब तक मुक्त होगा, जब तक कि उन्हें मास्टर परिपत्र के तहत शामिल नहीं कर लिया जाए। उपर्युक्त चेतावनी के आधार पर, मास्टर परिपत्र में समेकित किए गए परिपत्रों की सूची वाले भाग IV में शामिल परिपत्र, जो अनुलग्नक 1 में रखेगए हैं, ताकि वे मास्टर परिपत्र में सम्मिलित हो जाएं और सभी उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सतत रूप से लागू रहें। समय-समय पर निरस्त किए गए और संग्रहीत परिपत्रों की सूची अनुलग्नक-II में दी गई है।

2.3 किसी भी परिपत्र के ऐसे निरसन के बावजूद, मास्टर परिपत्र में उनके विलय पर, या अन्यथा, अब निरस्त किए गए परिपत्रों के अंतर्गत (उनके प्रवर्तन की अवधि के लिए) की गई या उठाई गई या कथित रूप से की गई या उठाई गई या की जाने वाली या इसके बाद उठाई जाने वाली किसी भी कार्रवाई को वैध रूप से किया हुआ माना जाएगा जैसे कि उक्त परिपत्र पूरी तरह लागू और प्रभावी हों और वे किसी भी तरह से उनके निरस्तीकरण से अप्रभावित रहेंगे।

2.4 निरस्त किए गए परिपत्रों का पिछला प्रवर्तन या उसके तहत विधिवत रूप से किए गए या उठाए गए कोई भी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, जो अर्जित, उपार्जित या वहन किया गया है, कोई भी आदेश पारित, कोई उल्लंघन, कोई भी जांच, परिपत्रों (जिन्हें अब निरस्त कर दिया गया है) के संदर्भ में लंबित कानूनी कार्यवाही इस प्रकार मानी जाएगी, मानों परिपत्र पूरी तरह से प्रवृत्त और प्रभावी हों और वे किसी भी तरह उनके निरस्तीकरण से अप्रभावित रहेंगे।

भाग III

3. परिभाषाएं

इन दिशानिर्देशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यहां प्रदत्त शब्दों का अर्थ निम्नानुसार होगा:

3.1 "आधार संख्या" अर्थात् आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016, आगे "आधार अधिनियम" के रूप में संदर्भित, की धारा 2 के खंड (क) के अंतर्गत परिभाषित।

3.2 "अधिनियम/पीएमएल अधिनियम/पीएमएलए" अर्थात् धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002

3.3 "प्रमाणीकरण" अर्थात् आधार अधिनियम की धारा 2 के खंड (ग) के अंतर्गत परिभाषित प्रक्रिया।

- 3.4 "सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री" (सीकेवाईसीआर) अर्थात् पीएमएल नियमों के नियम 2 के उप नियम (1) के खंड (कग)के अंतर्गत परिभाषित इकाई ।
- 3.5 "प्रमाणित प्रति" अर्थात् अभिदाता द्वारा प्रस्तुत आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज की प्रति की मूलप्रति के साथ तुलना करना और रिपोर्टिंग संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पीएफआरडीए की निर्दिष्ट पद्धति से उस प्रति को अभिलेखित करना ।
- 3.6 "ग्राहक" अर्थात् पीएमएल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (जक) के अंतर्गत परिभाषित।
- 3.7 "क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस" (सीडीडी) अर्थत् पीएमएल नियमों के नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अंतर्गत परिभाषित।
- 3.8 "पदनामित निदेशक" अर्थात् पीएमएल नियमों के नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (खक) के अंतर्गत परिभाषित।
- 3.9 "डिजिटल केवाईसी" अर्थात् पीएमएल नियमों के नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (खखक) के अंतर्गत परिभाषित।
- 3.10 "समतुल्य ई-दस्तावेज़" अर्थात् पीएमएल नियमों के नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (गख) के अंतर्गत परिभाषित।
- 3.11 "वित्तीय समूह" अर्थात् एक समूह जिसमें एक मूल कंपनी या किसी अन्य प्रकार की संस्था शामिल हो जो शेष समूह का नियंत्रण और समन्वय करती हो, जिसमें शाखाएं और / या सहायक कंपनियां शामिल हैं, जो समूह स्तर पर एएमएल/सीएफटी नीतियों और प्रक्रियाओं के अधीन हैं। [ख]
- 3.12 "केवाईसी टेम्पलेट" अर्थात् सीकेवाईसीआर के लिए केवाईसी डेटा को एकत्रित करने और रिपोर्ट करने की सुविधा के लिए निर्मित टेम्पलेट।
- 3.13 "केवाईसी पहचानकर्ता" अर्थात् पीएमएल नियमों के नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (गग) के अंतर्गत परिभाषित।
- 3.14 "केवाईसी रिकॉर्ड" अर्थात् पीएमएल नियमों के नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (गघ) के अंतर्गत परिभाषित।

3.15 "असमुख ग्राहक" अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी मास्टर निदेश – अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश, 2016, समय-समय पर यथा संशोधित के अध्याय 1 के खंड 3(ख) के उपखंड (ix) के अंतर्गत परिभाषित अर्थात्।

3.16 "ऑफलाइन सत्यापन" अर्थात् आधार अधिनियम की धारा 2 के खंड (तक)में परिभाषित।

3.17 "ऑन-गोइंग ड्यू डिलिजेंस (प्रचलित सम्यक तत्परता)" अर्थात् ग्राहक के प्रोफाइल और धन के स्रोत की अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए लेनदेन की नियमित निगरानी करना।

3.18 "आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज" अर्थात् पीएमएल नियमों के नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (घ) के अंतर्गत परिभाषित।

3.19 "राजनीतिक रूप से अनावृत व्यक्ति (पीईपी)" अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी मास्टर निदेश – अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश, 2016, समय-समय पर यथा-संशोधित की धारा 41 के स्पष्टीकरण में परिभाषित।

3.20 "आवधिक अद्यतनीकरण" अर्थात् सीडीडी प्रक्रिया के अंतर्गत एकत्र किए गए दस्तावेज, आंकड़े या जानकारी को पीएफआरडीए द्वारा मौजूदा अभिलेख की समीक्षा करके निर्धारित आवधिकता पर अद्यतित और प्रासंगिक रखने के लिए उठाए गए कदम।

3.21 "प्रधान अधिकारी" अर्थात् पीएमएल नियमों के नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (च) के अंतर्गत परिभाषित।

3.22 "रिपोर्टिंग इकाई" अर्थात् पीएमएल अधिनियम की धारा 2 की उप धारा (1) के खंड (बक) के अंतर्गत परिभाषित।

3.23 "नियम/पीएमएल नियम" अर्थात् धन-शोधन की रोकथाम (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005।

3.24 "संदिग्ध लेनदेन" अर्थात् पीएमएल नियमों के नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (छ) के अंतर्गत परिभाषित।

3.25 "वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वीसीआईपी)" अर्थात् कागज रहित रूप में पहचान/केवाईसी की एक वैकल्पिक (पर्याय) इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया, जो सहज, सुरक्षित, वास्तविक समय में जियो-टैगिंग, सहमति आधारित ऑडियो-विजुअल इंटरैक्शन के साथ अभिदाता द्वारा की जाती है ताकि उसकी समुचित सावधानी हेतु आवश्यक केवाईसी दस्तावेजों सहित उसके पहचान की सूचना प्राप्त की जा सके और उसके द्वारा प्रस्तुत जानकारी की सत्यता का पता लगाया जा सके।

3.26 "अभिदाता" अर्थात पीएफआरडीए अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (न) में परिभाषित। इन दिशानिर्देशों में, सब्सक्राइबर, कस्टमर और क्लाइंट शब्दों का परस्पर उपयोग किया गया है और इनका एक ही अर्थ (अभिदाता/ग्राहक) माना जाएगा।

3.27 ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियां, जिनका यहाँ उपयोग किया गया हो कि इन दिशानिर्देशों में परिभाषित नहीं हों, उनका अर्थ पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013, पीएमएल अधिनियम, पीएमएल नियम, आधार अधिनियम, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 में परिभाषित तथा क्रमशः उन अधिनियमों के अंतर्गत जारी किए गए नियमों, विनियमों, दिशानिर्देश, इत्यादि में परिभाषित के समान होगा।

4. आंतरिक नीतियां, प्रक्रियाएं, नियंत्रण, उत्तरदायित्व और अनुपालन व्यवस्था :

4.1 प्रत्येक रिपोर्टिंग इकाई को नीतियों, प्रक्रियाओं, आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित और कार्यान्वित करना है और एक ग्राहक समुचित सावधानी (सीडीडी) कार्यक्रम तैयार करना और उसे कार्यान्वित करना है, जो धन-शोधन (एमएल) और आतंकवादी वित्तपोषण (टीएफ) को रोकने और बाधित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य करता हो।

4.2 इन दायित्वों के अनुपालन के लिए, प्रत्येक रिपोर्टिंग इकाई का वरिष्ठ प्रबंधन एमएल और टीएफ की रोकथाम के लिए उपयुक्त नीतियों और प्रक्रियाओं को स्थापित करने और सभी प्रासंगिक कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं के साथ उनकी प्रभावशीलता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होगा। रिपोर्टिंग संस्थाएं निम्नलिखित कार्य करेंगी :

4.2.1 केवाईसी/एएमएल/सीएफटी कार्यक्रम विकसित करना जिसमें केवाईसी, एमएल और टीएफ से निपटने के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हों और जो वर्तमान सांविधिक और विनियामक अपेक्षाओं को दर्शते हों।

4.2.2 सुनिश्चित करना कि इन दिशानिर्देशों की विषयवस्तु को एनपीएस/एपीवाई अथवा पीएफआरडीए द्वारा विनियमित या प्रशासित किसी अन्य पेंशन योजना के वितरण को सुगम बनाने में लगे सभी कर्मचारियों, व्यवसाय संवाददाताओं, संबद्ध सेवानिवृत्ति सलाहकारों, पीओपी उप-इकाई और अभिकर्ताओं द्वारा समझा जाए और उनके बीच एमएल और टीएफ से बचाव के लिए जागरूकता और सतर्कता विकसित की जाए।

4.2.3 केवाईसी/एएमएल/सीएफटी नीति को निदेशक मंडल अथवा रिपोर्ट कर्ता इकाई के समकक्ष प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति से सृजित कार्यक्रम और प्रक्रियाओं की समय-समय पर जोखिम के आधार पर समीक्षा की जाएगी और अनुभव के आधार पर उपयुक्त परिवर्तन (यदि कोई हो) लागू किए जाएंगे और मौजूदा पीएमएल अधिनियम / पीएमएल नियमों / विनियमों / दिशानिर्देशों और अन्य लागू मानकों का अनुपालन किया जाएगा। (यदि रिपोर्ट कर्ता इकाई के पास पहले से ही किसी अन्य वित्तीय क्षेत्र विनियामक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में केवाईसी/एएमएल/सीएफटी पर निदेशक मंडल अनुमोदित नीति है तो एनपीएस से संबंधित गतिविधियों को उस नीति में शामिल किया जाएगा।)

4.2.4 निदेशक मंडल या समकक्ष प्राधिकारी या निदेशक मंडल की समिति या निदेशक मंडल द्वारा नामित वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी (यों) को आवधिक आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई सहित टिप्पणियों, उल्लंघनों, रिपोर्टिंग आदि के बारे में अवगत कराया जाएगा।

4.2.5 सीडीडी उपायों को उस सीमा तक लागू किया जाएगा जो अभिदाता के प्रकार, व्यावसायिक संबंध या लेनदेन के आधार पर एमएल और टीएफ के जोखिम के प्रति संवेदनशील हो।

4.2.6 भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय खुफिया इकाई - भारत (एफआईयू-आईएनडी) और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को संदिग्ध एमएल या टीएफ लेनदेन की पहचान, निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए एक प्रणाली को स्थापित किया जाएगा।

4.3 केवाईसी/एएमएल/सीएफटी कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल होंगे :

4.3.1 रिपोर्टिंग संस्थाओं के सभी कार्यालयों में (शाखाओं या विभागों में) अभिदाताओं की जानकारी को संभालने वाले प्रबंधन और प्रासंगिक कर्मचारियों के सभी स्तरों के लिए एमएल और टीएफ की रोकथाम से संबंधित नीतियों का संचार;

4.3.2 रिपोर्टिंग संस्थाओं को उनके द्वारा पहचाने गए जोखिम को प्रबंधित करने और उसे कम करने में सक्षम बनाने के लिए निदेशक मंडल या समकक्ष प्राधिकारी या निदेशक मंडल की समिति या निदेशक मंडल द्वारा नामित वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी (यों) द्वारा अनुमोदित नीतियों, नियंत्रणों और प्रक्रियाओं सहित ग्राहक समुचित सावधानी कार्यक्रम (क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस प्रोग्राम) को लागू करना;

4.3.3 अभिलेखों का रखरखाव;

4.3.4 प्रासंगिक वैधानिक और विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन;

4.3.5 संबंधित विधि प्रवर्तन अधिकारियों के साथ सहयोग, जिसमें सूचना का समय पर प्रकटन शामिल है;

4.3.6 एमएल और टीएफ की रोकथाम से संबंधित नीतियों, प्रक्रियाओं और नियंत्रणों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक अंकेक्षण या अनुपालन कार्य की भूमिका, जिसमें संदिग्ध धन-शोधन लेनदेन का पता लगाने के लिए सिस्टम का परीक्षण, बड़े और/या अनियमित लेनदेन पर उत्पन्न अपवाद रिपोर्टों की पर्याप्तता का मूल्यांकन और जांच करना, संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्टिंग की गुणवत्ता और फ्रंटलाइन कर्मचारियों की जागरूकता का स्तर तथा इस संबंध में उनकी जिम्मेदारियों के स्तर का आंकलन। आंतरिक अंकेक्षण कार्य स्वतंत्र, पर्याप्त रूप से संसाधित और व्यवसाय और संचालन के आकार, संगठन की संरचना, अभिदाताओं की संख्या और ऐसे अन्य कारकों के अनुरूप होना चाहिए।

4.4 रिपोर्टिंग संस्थाओं की उत्तरदायित्व :

ये दिशानिर्देश, रिपोर्टिंग संस्थाओं पर एक सशक्त केवाईसी / एएमएल / सीएफटी कार्यक्रम का उत्तरदायित्व डालते हैं। इसके लिए कर्मचारियों, व्यापार संवाददाताओं, संबद्ध सेवानिवृत्ति सलाहकारों, पीओपी उप-इकाई और रिपोर्टिंग संस्थाओं के अभिकर्ताओं पर नियंत्रण के स्तर को सशक्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

4.4.1 मानक संचालन प्रक्रिया/मार्गदर्शन नोट/प्रक्रिया दस्तावेज जिसमें रिपोर्टिंग संस्थाओं के प्रतिनिधियों के उत्तरदायित्व शामिल हों, अवश्य ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इस आशय का एक खंड उनके साथ दर्ज किए गए अनुलग्नक (अनुबंधों) के हिस्से के रूप में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

4.4.2 रिपोर्टिंग इकाई अपने ऐसे चूककर्ता प्रतिनिधियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई शुरू करेंगी, जो उन इकाइयों को अनेक अवसरों पर केवाईसी/एएमएल/सीएफटी से संबंधित जोखिमों में डालते हैं।

4.4.3 चूंकि कुछ रिपोर्टिंग संस्थाओं को पेंशन योजनाओं के वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यक्तिगत व्यवसाय प्रतिनिधियों या अभिकर्ताओं की सेवाएं लेने की अनुमति दी गयी है, इसलिए निर्धारित केवाईसी/एएमएल/सीएफटी उपायों को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति प्रक्रिया की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाएगी।

4.4.4 वित्तीय समूहों से एमएल/टीएफ के विरुद्ध समूह-व्यापी कार्यक्रमों को लागू करने की अपेक्षा की जाती है, जो वित्तीय समूह की सभी शाखाओं और बहुसंख्यक स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों पर लागू और उसके उपयुक्त होना चाहिए :

क. ग्राहक समुचित सावधानी और एमएल/टीएफ जोखिम प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक जानकारी साझा करने के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं

ख. एएमएल/सीएफटी उद्देश्यों के लिए आवश्यक होने पर शाखाओं और सहायक कंपनियों से ग्राहक, खाता और लेनदेन की जानकारी, समूह-स्तरीय अनुपालन, अंकेक्षण, और/या एएमएल/सीएफटी कार्यों पर प्रावधान। इसमें ऐसे लेनदेन या गतिविधियों की जानकारी और विश्लेषण शामिल होना चाहिए जो असामान्य दिखाई देते हों (यदि ऐसा विश्लेषण किया गया था)। इसी तरह, शाखाओं और सहायक कंपनियों को इन समूह-स्तरीय कार्यों से ऐसी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, जो जोखिम प्रबंधन के लिए प्रासंगिक और उपयुक्त हो; और

ग. सूचना की गोपनीयता और आदान-प्रदान की गई सूचना के उपयोग पर पर्याप्त सुरक्षोपाय, जिसमें सूचना को रोकने के लिए सुरक्षोपाय भी शामिल हैं। [ख]

4.4.5 रिपोर्टिंग इकाई की विदेशी शाखाएं, पीएफआरडीए द्वारा विनियमित/प्रशासित पेंशन योजना के लिए पीएफआरडीए द्वारा निर्दिष्ट अभिदाताओं के लिए ग्राहक समुचित सावधानी/एएमएल मानक संचालित करेंगी। यदि मेजबान (होस्ट) देश इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की अनुमति नहीं देता है, तो रिपोर्टिंग

इकाई को धन-शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए उचित अतिरिक्त उपाय लागू करने चाहिए, और पीएफआरडीए को इसकी सूचना देनी चाहिए। ^[b]

4.5 अनुपालन प्रमाणपत्र :

रिपोर्टिंग इकाइयाँ, वार्षिक अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के साथ अनुलग्नक 1 में प्रदान किए गए अनुपालन प्रमाणपत्र को अग्रिम वित्तीय वर्ष के 31 अक्टूबर तक प्रस्तुत करेंगी।

5. एक पदनामित निदेशक और एक प्रधान अधिकारी की नियुक्ति

5.1 एक "पदनामित निदेशक", जिसे पीएमएल अधिनियम के अध्याय IV और पीएमएल नियमों के अंतर्गत लागू दायित्वों के समग्र अनुपालन को सुनिश्चित करना है, को रिपोर्टिंग इकाइयों द्वारा नियुक्त या पदनामित किया जाएगा।

5.2 पीएमएल अधिनियम के अध्याय IV और पीएमएल नियमों के अंतर्गत लागू दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन में से एक "प्रधान अधिकारी" (पीओ) नियुक्त किया जाएगा।

5.3 पदनामित निदेशक और प्रधान अधिकारी के संपर्क विवरण (मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और व्यावसायिक पते सहित) इन दिशानिर्देशों के जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) और एफआईयू-आईएनडी को प्रस्तुत किए जाएंगे। इस संबंध में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को 30 दिनों के भीतर पीएफआरडीए और एफआईयू-आईएनडी को सूचित किया जाएगा।

बशर्ते कि कोई भी इकाई (जो रिपोर्ट कर्ता इकाई की परिभाषा के अंतर्गत शामिल है) नए पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय, उपर्युक्त विवरण प्रस्तुत करेगी।

5.4 पीएमएल अधिनियम की धारा 13 के संदर्भ में, निदेशक, एफआईयू-आईएनडी उचित कार्रवाई कर सकता है, जिसमें रिपोर्टिंग इकाइयों या उसके पदनामित निदेशक या उसके किसी भी कर्मचारी पर उसके केवाईसी / एएमएल/सीएफटी दायित्वों में से किसी का अनुपालन करने में विफलता के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाना भी शामिल है।

6. भर्ती और प्रशिक्षण

6.1 उनके कार्मिकों की बहाली/भर्ती प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में पर्याप्त जांच तंत्र स्थापित किया जाएगा।

6.2 सदस्यों/कर्मचारियों को केवाईसी/एएमएल/सीएफटी नीति में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करने के लिए जारी प्रशिक्षण कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। फ्रंटलाइन स्टाफ, अनुपालन कर्मचारियों, नए अभिदाताओं के साथ काम करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण का केंद्रबिंदु अलग होगा। फ्रंटलाइन स्टाफ को विशेष रूप से अभिदाता शिक्षा की कमी से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। रिपोर्टिंग इकाइयों की केवाईसी/एएमएल/सीएफटी नीतियों, दिशानिर्देश और संबंधित मुद्दों में पर्याप्त रूप

से प्रशिक्षित और अच्छी तरह से परिचित व्यक्तियों के साथ अंकेक्षण कार्य की उचित स्टाफिंग सुनिश्चित किया जाएगा।

7. आंतरिक नियंत्रण/अंकेक्षण

रिपोर्टिंग इकाइयों का आंतरिक अंकेक्षण/निरीक्षण विभाग अथवा रिपोर्ट कर्ता इकाई द्वारा नियुक्त बाह्य अंकेक्षक आवधिक रूप से समग्र जोखिम मूल्यांकन के आधार पर धन शोधन कार्यकलापों से संबंधित वर्तमान नीतियों, प्रक्रियाओं और नियंत्रणों के अनुपालन का सत्यापन करेगा। रिपोर्टिंग इकाइयां मौजूदा पीएमएल अधिनियम और पीएमएल नियमों के अनुसार समय-समय पर अपनी प्रश्नावली और प्रणाली को अद्यतित भी करेंगी। रिपोर्टों में इस संबंध में आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं की सशक्तता पर विशेष रूप से टिप्पणी की जानी चाहिए और जहां आवश्यक हो, नीति और कार्यान्वयन पहलुओं को सशक्त करने के लिए रचनात्मक सुझाव भी दिए जाने चाहिए। रिपोर्टिंग इकाइयाँ अंकेक्षण समिति को अंकेक्षण नोट और अनुपालन प्रस्तुत करेंगी और इनकी अनुपस्थिति में सीधे रिपोर्ट कर्ता इकाई के निदेशक मंडल या समकक्ष प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगी।

8. अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानक

8.1 केवाईसी मानक

- 8.1.1 रिपोर्टिंग संस्थाओं को अभिदाता(ओं) की सही पहचान निर्धारित करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करने चाहिए।
- 8.1.2 कोई भी रिपोर्टिंग इकाई किसी भी व्यक्ति के फर्जी नामों या खुले खाते में किसी भी गुमनाम खाते या खाते को खोलने या रखने की अनुमति नहीं देगी, जिसकी पहचान का खुलासा नहीं किया गया हो या जिसे सत्यापित नहीं किया जा सकता हो। नए/मौजूदा उपभोक्ता(ओं) की उचित पहचान करने के लिए अपेक्षित विवरण प्राप्त करने हेतु प्रभावी प्रक्रियाएं अपनाई जानी चाहिए।
- 8.1.3 रिपोर्टिंग इकाइयाँ पीएमएल नियमों में निर्दिष्ट प्रावधान के अनुपालन में पहचान, पता और हाल ही में लिए फोटोग्राफ को सत्यापित करेंगी।
- 8.1.4 किसी भी समय, जहां रिपोर्टिंग इकाइयां वास्तविक पहचान और अभिदाता द्वारा किए गए लेनदेन के बारे में संतुष्ट नहीं हैं, और यह मानती हैं कि लेनदेन पीएमएल नियमों के नियम 2 के खंड (1) के उप खंड (छ) में निर्दिष्ट मानकों और एफआईयू-आईएनडी या पीएफआरडीए द्वारा जारी दिशानिर्देशों/संकेतकों को पूरा करता है, तो ऐसे मामले में एक संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) के साथ दायर की जानी चाहिए।
- 8.1.5 रिपोर्टिंग संस्थाएं निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से केवाईसी प्रक्रिया निष्पादित कर सकती हैं :

8.1.5.1 पीएमएल अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत सरकार द्वारा अधिसूचना के अधीन ऑनलाइन प्रमाणीकरण के माध्यम से आधार आधारित केवाईसी या

8.1.5.2 ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से आधार आधारित केवाईसी या

8.1.5.3 पीएमएल नियमों के अनुसार डिजिटल केवाईसी या

8.1.5.4 किसी भी आधिकारिक वैध दस्तावेज के समकक्ष ई-दस्तावेज का उपयोग करके अभिदाता की पहचान स्थापित करने की सहमति आधारित वैकल्पिक विधि के रूप में वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वीसीआईपी) (रिपोर्टिंग इकाई द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) तथा उसके अंतर्गत जारी नियमों के प्रावधानों के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर को सत्यापित करेगी और पीएमएल नियमों के अनुलग्नक 1 में निर्दिष्ट और एनपीएस के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए निर्धारित वीसीआईपी प्रक्रिया के लिए पीएफआरडीए द्वारा जारी परिपत्र PFRDA/2020/46/SUP-CRA/18 दिनांक 6 अक्टूबर 2020 (अनुलग्नक 2) के अनुसार एक लाइव फोटो लेगी या

8.1.5.5 सीकेवाईसीआर द्वारा अभिदाता को आवंटित "केवाईसी पहचानकर्ता" का उपयोग करके या

8.1.5.6 पीएफआरडीए द्वारा परिपत्र संख्या PFRDA/2021/5/PDES/5 दिनांक 3 फरवरी 2021 (संलग्नक 3) 1 के अंतर्गत निर्धारित "डिजिलॉकर का उपयोग" कर के ; या

8.1.5.7 'आधिकारिक वैध दस्तावेज' की प्रमाणित प्रति का उपयोग करके जिसमें पहचान और पता, हाल ही में खींचे गए फोटोग्राफ और अभिदाताओं की वित्तीय स्थिति सहित ऐसे अन्य दस्तावेजों का विवरण शामिल हो ; और

8.1.5.8 पैन/फॉर्म 60 (जहां लागू हो) और कोई अन्य दस्तावेज जो अपेक्षित हो

8.1.6 यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि अंशदान आय से अधिक नहीं होना चाहिए।

8.2 ग्राहक समुचित सावधानी (क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस CDD)

पीएमएल नियमों के नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार रिपोर्टिंग इकाई सीडीडी की व्यवस्था करेगी। तदनुसार, रिपोर्टिंग इकाइयाँ निम्नानुसार सीडीडी का कार्य करेंगी :

8.2.1 नए अभिदाता की पहचान

प्रत्येक नए अभिदाता के मामले में, खाता-आधारित संबंध/ग्राहक-आधारित संबंध शुरू होने के समय अभिदाता के वैध केवाईसी दस्तावेजों के साथ आवश्यक ग्राहक समुचित सावधानी बरती जाएगी। यथा

सीडीडी के अंतर्गत एकत्र की गई जानकारी या डेटा को, खासकर उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के लिए, अप-टू-डेट और प्रासंगिक रखा जाना चाहिए। [b]

8.2.2 मौजूदा अभिदाताओं को जानना

8.2.2.1 एएमएल/सीएफटी अपेक्षाएं सभी मौजूदा अभिदाताओं पर लागू हैं। इसलिए, पूर्व में प्राप्त आंकड़ों की पर्याप्तता के आधार पर मौजूदा अभिदाताओं के लिए समय-समय पर केवाईसी (मौजूदा पीएमएल नियमों के अनुसार) के साथ आवश्यक सीडीडी किया जाएगा। इसके अलावा, एनपीएस खाते के केवाईसी का आवधिक अद्यतन निम्नानुसार किया जाएगा :

- क. एनपीएस टियर ॥ खातों के मामले में (टियर ॥ टैक्स बचत स्कीम को छोड़कर) - हर 3 साल में।
- ख. टियर ॥ खाते के मामले में, जहां ग्राहक राजनीतिक पहुँच वाला व्यक्ति (पीईपी) है – हर 2 साल में।
- ग. NPS टियर । खाते से निकासी के समय।
- घ. जब भी अभिदाता के जोखिम प्रोफाइल में बढ़ोतरी होती है।
- च. पीएमएल अधिनियम/पीएमएल नियमों में संशोधन या परिवर्तन के बाद।

8.2.2.2 जहां धन-शोधन या आतंकवादी वित्तपोषण के जोखिम अधिक हों, रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा चिह्नित जोखिमों के अनुरूप संवर्धित उचित सावधानी (ईडीडी) उपायों का संचालन करना अपेक्षित है।

8.2.2.3 जहां रिपोर्टिंग इकाई (रिपोर्ट कर्ता इकाई) द्वारा धन-शोधन या आतंकवादी वित्तपोषण का संदेह किए जाता है, और वह यथोचित रूप से मानती है कि क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस (सीडीडी) प्रक्रिया करने से ग्राहक टिप-ऑफ हो जाएगा, वह सीडीडी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएगी, किन्तु इसके बजाय एफआईयू-आईएनडी के साथ एक संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) दर्ज करेगी। [ग]

8.2.3 जारी समुचित सावधानी

पेंशन खाता खोलने/प्रारंभिक अंशदान के समय अभिदाता की पहचान का सत्यापन करने के अलावा, जोखिम मूल्यांकन और जारी समुचित सावधानी भी ऐसे समय में की जानी चाहिए जब अतिरिक्त/बाद में अंशदान किए जाते हैं।

कोई भी परिवर्तन जो उपभोक्ता की सामान्य और अपेक्षित गतिविधि के साथ असंगत है, उसे अग्रगामी समुचित सावधानी प्रक्रियाओं और अपेक्षित कार्रवाई के लिए रिपोर्टिंग इकाइयों के ध्यान में आना चाहिए।

8.2.3.1 रिपोर्टिंग निकाय अंशदान के स्रोत की पहचान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि अंशदान अभिदाता के धन -स्रोत के माध्यम से किया जा रहा है।

8.2.3.2 निकास के समय सत्यापन (सेवानिवृत्ति/समयपूर्व निकास/मृत्यु आदि)

क. सिवाय मृत्यु के मामले में नामिती/कानूनी उत्तराधिकारियों को किए गए भुगतानों के अतिरिक्त सेवानिवृत्ति की प्राप्ति पर तृतीय पक्षों को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा

ख. पे-आउट/दावों का निपटान करने से पहले अभिदाता (ओं)/नामिती (ओं)/कानूनी उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारियों) के प्रति अपेक्षित समुचित सावधानी प्रक्रिया बरती जानी चाहिए।

8.2.3.3 उपर्युक्त के बावजूद, रिपोर्टिंग इकाइयों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि कोई भी संवेदनशील मामला विचारहीन न रहे, विशेषकर, जहां धन-शोधन अथवा आतंकवादी वित्तपोषण का संदेह हो अथवा जहां उच्च जोखिम दर्शने वाले कारक हों, ऐसे समनुदेशों पर आवश्यक समुचित सावधानी बरतनी होगी और आवश्यकता होने पर एफआईयू-आईएनडी के पास एसटीआर फाइल करनी होगी।

9. जोखिम मूल्यांकन और जोखिम वर्गीकरण

9.1 पीएफआरडीए द्वारा विनियमित/प्रशासित पेंशन योजनाओं के अंतर्गत अभिदाता के जोखिम प्रोफाइल का मूल्यांकन करते समय, रिपोर्ट कर्ता इकाई, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा :

9.1.1 यदि अंशदान, अनिवार्य अंशदान है अर्थात् एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी (इन खातों में सामान्यतः कम जोखिम होगा)

9.1.2 यदि अंशदान स्वैच्छिक तथा कम अंशदान वाले हैं : एपीवाई के नियत तथा कम अंशदान वाली पेंशन योजना तथा एनपीएस लाइट के कम अंशदान वाली पेंशन योजना होने के कारण (इन खातों में सामान्यतः कम जोखिम शामिल होता है)

9.1.3 एनपीएस टीयर-। खाते में स्वैच्छिक आधार पर अंशदान (इन खातों में सामान्यतः मध्यम जोखिम शामिल होता है)

9.1.4 एनपीएस टीयर ॥ खाते के प्रति स्वैच्छिक अंशदान, जो एक आहरण योग्य खाता है (इन खातों में अन्य श्रेणियों की तुलना में सामान्यतः अधिक जोखिम शामिल होता है)

9.2 उपर्युक्त 9.1 में निहित किसी बात के होते हुए भी, अभिदाता के जोखिम प्रोफाइल का मूल्यांकन करते समय, रिपोर्ट कर्ता इकाई निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगा :

9.2.1 खाते की प्रकृति (उदाहरण के लिए - एनपीएस टियर ।, एनपीएस टियर ॥, एनपीएस टियर ॥। टैक्स बचत स्कीम, एनपीएस लाइट, एपीवाई और पीएफआरडीए द्वारा विनियमित/प्रशासित कोई अन्य योजना)

9.2.2 अंशदान का स्रोत

9.2.3 अंशदान की विधि (नकद/ऑनलाइन/चेक/डीडी/कार्ड/नियोक्ता बैंक खाता आदि)

9.2.4 अंशदान के प्रवाह में नियमितता (उदाहरण के लिए - नियोक्ता और कर्मचारी संबंध के अंतर्गत अंशदान)

9.2.5 टियर । और टियर ॥ खाते के अंतर्गत निकासी

9.2.6 अभिदाता के निवास की स्थिति (उदाहरण के लिए – उच्च राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन के न्यायाधिकार क्षेत्र में रहने वाले अभिदाता)

9.2.7 राजनीतिक पैठ वाला व्यक्ति

9.2.8 अभिदाता द्वारा घोषित आय/आय सीमा की तुलना में किए गए अंशदान

उपरोक्त सूची विस्तृत नहीं, अपितु सांकेतिक है । रिपोर्ट कर्ता इकाई अपने स्वयं के निर्णय और पिछले अनुभव का उपयोग करके अतिरिक्त कारकों पर विचार कर सकता है।

9.3 रिपोर्टिंग इकाइयों को पीएमएल नियमों के नियम 9 के उप नियम (13) में किए गए प्रावधान के अनुसार एमएल और टीएफ जोखिम मूल्यांकन हेतु अभ्यास करना होगा, जो अभिदाताओं या भौगोलिक क्षेत्रों, उत्पादों, सेवाओं, प्रकृति और लेनदेन या वितरण चैनलों आदि के लिए अपने एमएल और टीएफ जोखिम को कम करने के लिए जोखिम की पहचान, मूल्यांकन, दस्तावेज और प्रभावी उपाय करने के आधार पर होगा। एमएल/टीएफ जोखिम का आकलन करते समय, रिपोर्टिंग इकाइयों को समग्र क्षेत्र विशिष्ट और देश-विशिष्ट कमजोरियों, यदि कोई हो, का संज्ञान लेना अपेक्षित है, जिसे भारत सरकार/पीएफआरडीए समय-समय पर रिपोर्टिंग इकाइयों के साथ साझा कर सकती है। इसके अतिरिक्त, रिपोर्टिंग इकाइयों द्वारा किया जाने वाला आंतरिक जोखिम मूल्यांकन उसके आकार, भौगोलिक उपस्थिति, जटिलता अथवा गतिविधियों/संरचना आदि के अनुरूप होना चाहिए।

9.4 प्रलेखित जोखिम मूल्यांकन को समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा। रिपोर्टिंग इकाइयां समग्र जोखिम के स्तर और लागू किए जाने वाले शमन के उचित स्तर और प्रकार का निर्धारण करने से पहले सभी प्रासंगिक जोखिम कारकों पर विचार करेंगी। आवश्यकता पड़ने पर इसे सक्षम प्राधिकारियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उपलब्ध कराया जाएगा।

9.5 जोखिम वर्गीकरण :

9.5.1 जोखिम वर्गीकरण खंड 9.1 और 9.2 में विस्तृत मानकों के आधार पर किया जाएगा, इसके अलावा अभिदाता की पहचान, रोजगार की प्रकृति, टियर ॥ खाते में उच्च मूल्य जमा / सेवानिवृत्ति के निकट टियर । खाते में, टियर ॥ खाते में असामान्य निकासी आदि। अभिदाता की पहचान पर विचार करते समय, ऑनलाइन अथवा जारी करने वाले प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं के माध्यम से पहचान दस्तावेजों की पुष्टि करने की क्षमता को भी ध्यान में रखा जा सकता है। रिपोर्ट कर्ता इकाई एनपीएस टियर ॥ खाते (एनपीएस टियर ॥ टैक्स सेवर योजना के अंतर्गत खातों को छोड़कर) के लिए संवर्धित समुचित सावधानी (ईडीडी) सुनिश्चित करेगा।

9.5.2 जोखिम वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए, ऐसे व्यक्ति जिनकी पहचान तथा आय के स्रोत को आसानी से चिह्नित किया जा सकता है तथा जिनके पेंशन खाते कुल मिलाकर ज्ञात प्रोफाइल के अनुरूप हैं, उन्हें कम जोखिम वाली श्रेणी में रखा जा सकता है। कम जोखिम वाले अभिदाताओं के लिए प्रान खाते में केवल बुनियादी अपेक्षित होंगी, जैसे पहचान, वर्तमान पता, वार्षिक आय और अभिदाता के निधि के स्रोतों को सत्यापित करना है। उपर्युक्त के बावजूद, संबंध जारी रखने के मामले में, यदि स्थिति में अपेक्षित है, उदाहरण के लिए यदि अभिदाता प्रोफाइल परवर्ती अंशदानों के माध्यम से निवेश के साथ असंगत प्रतीत होती हो, तो अभिदाता प्रोफाइल पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

9.5.3 उच्च जोखिम प्रोफाइल, जैसे अनिवासी, उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों, राजनीतिक पैठ वाले व्यक्तियों (पीईपी) और उपलब्ध सार्वजनिक सूचना के अनुसार प्रतिकूल प्रतिष्ठा वाले लोगों के लिए, जिन्हें समुचित सावधानी की आवश्यकता है, केवाईसी प्रक्रियाओं में उच्च स्तर का सत्यापन और पुनः जांच सुनिश्चित करनी चाहिए।

9.6 नई व्यावसायिक प्रथाओं/विकास के लिए जोखिम मूल्यांकन :

9.6.1 रिपोर्टिंग इकाइयाँ उनधन-शोधन खतरों पर विशेष ध्यान देंगी जो निम्नलिखित से उत्पन्न हो सकती हैं :

क) नई डिलीवरी तंत्र सहित नई व्यावसायिक प्रथाएं

ख) पीएफआरडीए द्वारा विनियमित/प्रशासित पेंशन योजनाओं के लिए नई या विकासशील प्रौद्योगिकियों का उपयोग

9.6.2 रिपोर्टिंग इकाइयाँ ऐसी प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों के उपयोग से पहले उपर्युक्त जोखिम मूल्यांकन अभ्यास करेंगी और जोखिमों को प्रबंधित करने और कम करने के लिए उचित उपाय करेंगी। [ख]

10. सरलीकृत समुचित सावधानी (एसडीडी)

पीएमएल नियमों के नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (घ) के अंतर्गत प्रदान किए गए सरलीकृत उपायों को एपीवाई के अंतर्गत खोले गए खातों के मामले में रिपोर्टिंग इकाइयों द्वारा लागू किया जाना है, इनमें खाते को कम जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि, जब भी धन-शोधन या आतंकवादी वित्तपोषण का संदेह होता है या जहां रिपोर्टिंग इकाइयों की जोखिम मूल्यांकन/वर्गीकरण नीति के आधार पर विशिष्ट उच्च जोखिम परिवृश्य लागू होते हैं, तो सरलीकृत ग्राहक समुचित सावधानी उपाय स्वीकार्य नहीं होते हैं।

10.1 सरलीकृत समुचित सावधानी वाले दस्तावेजों की सूची पीएमएल नियमों के नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट है।

11. संवर्धित समुचित सावधानी (ईडीडी)

पीएमएल अधिनियम की धारा 12कक में उल्लिखित संवर्धित समुचित सावधानी अभिदाताओं की उच्च जोखिम श्रेणियों के लिए आयोजित की जाएगी।

11.1 रिपोर्टिंग इकाइयों को, जहां तक संभव हो, लेनदेनों के उन असामान्य पैटर्न की जांच करनी चाहिए, जिनका कोई स्पष्ट आर्थिक या वैध उद्देश्य नहीं है। जहां धन-शोधन या आतंकवादी वित्तपोषण के जोखिम अधिक हैं, रिपोर्टिंग इकाइयों द्वारा चिह्नित जोखिमों के अनुरूप संवर्धित समुचित सावधानी उपायों का संचालन करना अपेक्षित है।

11.2 रिपोर्टिंग इकाइयाँ :

11.3.1 अभिदाता की सहमति के अधीन आधार का अधिमानतः उपयोग करने वाले अभिदाता की पहचान का सत्यापन करेंगी या;

11.3.2 समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्रों/दिशानिर्देशों के माध्यम से निर्दिष्ट केवाईसी के अन्य प्रविधियों/विधियों के माध्यम से अभिदाता का सत्यापन करेंगी।

11.4 रिपोर्टिंग इकाइयाँ स्वामित्व और वित्तीय स्थिति की जांच करेंगी, जिसमें अभिदाता के मूल्यांकित जोखिम और उसके प्रोफाइल के अनुरूप अभिदाता के धन के स्रोत भी शामिल हैं।

12. केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री (सीकेवाईसी) के साथ केवाईसी जानकारी साझा करना

12.1 भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या 1012 के अंतर्गत का.आ. 3183(ई) दिनांक 26 नवंबर, 2015 के माध्यम से भारत के प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित (सीईआरएसएआई -CERSAI) की केंद्रीय रजिस्ट्री को अधिसूचित किया है, जो सीकेवाईसीआर के कार्यों को निष्पादित करने के लिए है।

12.2 रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा पीएमएल नियमों के अंतर्गत निर्धारित तरीके से सीकेवाईसीआर (CKYCR) से संबंधित कार्यों को निष्पादित करना अपेक्षित है। ऐसे कार्यों को करने के उद्देश्य से रिपोर्ट कर्ता इकाई को सीईआरएसएआई (CERSAI) के साथ पंजीकृत होना अपेक्षित है। वर्तमान में, एनपीएस स्थापत्य के अंतर्गत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 के विनियम 3 (1) (i) और विनियम 3 (1) (ii) के अंतर्गत पंजीकृत रिपोर्टिंग इकाइयाँ सीईआरएसएआई के साथ खुद को पंजीकृत करेंगी। इसके अलावा, पहले से ही किसी अन्य वित्तीय क्षेत्र के विनियामक के अंतर्गत सीईआरएसएआई के साथ पंजीकृत रिपोर्ट कर्ता इकाई को फिर से सीईआरएसएआई (CERSAI) के साथ स्वयं को पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है, और पीएफआरडीए के अंतर्गत रिपोर्टिंग इकाइयों के रूप में सीईआरएसएआई (CERSAI) के साथ इस तरह के पंजीकरण का उपयोग कर सकते हैं।

12.3 जहां अभिदाता केवाईसी के लिए "केवाईसी पहचानकर्ता" प्रस्तुत करता है, वहां रिपोर्टिंग इकाइयाँ सीकेवाईसीआर (CKYCR) से केवाईसी अभिलेख पुनः प्राप्त करेंगी। ऐसे मामले में, अभिदाता केवाईसी अभिलेख जमा नहीं करेगा जब तक कि पीएमएल नियमों के नियम 9 (1 ग) के अनुसार रिपोर्टिंग इकाइयों द्वारा आवश्यक केवाईसी जानकारी में कोई बदलाव न किया जाता हो।

12.4 यदि अभिदाता द्वारा केवाईसी पहचानकर्ता प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो रिपोर्टिंग इकाइयाँ सीकेवाईसीआर पोर्टल पर इसकी खोज (क्रिटिप्य क्रेडेंशियल्स के साथ) करेंगी और उपलब्ध अभिदाता के केवाईसी पहचानकर्ता को दर्ज करेंगी।

12.5 यदि अभिदाता द्वारा केवाईसी पहचानकर्ता प्रस्तुत नहीं किया जाता है या सीकेवाईसीआर पोर्टल में उपलब्ध नहीं है, तो रिपोर्टिंग इकाइयाँ केवाईसी जानकारी को पीएमएल नियमों के अंतर्गत निर्धारित तरीके से और व्यक्तियों के लिए निर्धारित केवाईसी टेम्पलेट के अनुसार कैप्चर करेंगी। CERSAI द्वारा अंतिम रूप दिए गए CKYCR पर केवाईसी रिकॉर्ड अपलोड करने के लिए 'व्यक्तियों' के लिए KYC टेम्पलेट और 'केंद्रीय KYC रजिस्ट्री संचालन दिशानिर्देश 2016' इस लिंक www.ckycindia.in पर उपलब्ध हैं।

12.6 रिपोर्टिंग इकाइयाँ, समय-समय पर पीएफआरडीए द्वारा दिशानिर्देशों/अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार अभिदाता के साथ खाता आधारित संबंध शुरू होने के 10 दिनों के भीतर उपभोक्ता के केवाईसी अभिलेख की इलेक्ट्रॉनिक प्रति सीकेवाईसीआर को दाखिल करेंगी।

12.7 सीकेवाईसीआर द्वारा "केवाईसी पहचानकर्ता" तैयार/आवंटित किए जाने के बाद, रिपोर्टिंग इकाइयाँ यह सुनिश्चित करेंगी कि संबंधित अभिदाता को गोपनीय तरीके से इसकी सूचना तुरंत दी जाए, जिसमें उपभोक्ता हेतु इसके लाभ/उपयोग का उल्लेख हो।

12.8 यदि आधार का उपयोग करते हुए सत्यापन/प्रमाणीकरण किया जा रहा है तो निम्नलिखित विवरण सीकेवाईसीआर पर अपलोड किया जाना अपेक्षित है :

12.8.1 ऑनलाइन प्रमाणीकरण के लिए,

- a) संशोधित आधार संख्या (अंतिम चार अंक)
- b) जनसांख्यिकीय विवरण
- c) तथ्य यह है कि प्रमाणीकरण किया गया था

12.8.2 ऑफलाइन सत्यापन के लिए

- a) केवाईसी डेटा
- b) संशोधित आधार संख्या (अंतिम चार अंक)

12.9 आवधिक अद्यतन के समय, यह सुनिश्चित किया जाना है कि अभिदाता के सभी मौजूदा केवाईसी रिकॉर्ड मौजूदा सीडीडी मानकों के अनुसार संवर्धित रूप में अपलोड किए जाएं। रिपोर्टिंग इकाइयाँ उन सक्रिय

पेंशन खातों से संबंधित अद्यतन केवाईसी डेटा अपलोड करेंगी, जिनके सम्मुख "केवाईसी पहचानकर्ता" अभी तक सीकेवाईसीआर द्वारा आवंटित/उत्पन्न नहीं किया गया है।

12.10 रिपोर्टिंग इकाइयाँ अभिदाता की पहचान या पते के सत्यापन के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री से प्राप्त अभिदाता के केवाईसी रिकॉर्ड का उपयोग नहीं करेंगी और पीएमएल नियमों के नियम 9(1च) के अनुसार केवाईसी रिकॉर्ड या उसमें निहित किसी भी जानकारी को किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित नहीं करना चाहिए, जब तक कि अभिदाता या पीएफआरडीए या निदेशक (एफआईयू-आईएनडी) द्वारा ऐसा करने के लिए अधिकृत न किया जाए। रिपोर्टिंग इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि सीकेवाईसीआर के परिचालन से पहले खोले गए खातों के मामले में, केवाईसी रिकॉर्ड आवधिक अद्यतन के दौरान सीकेवाईसीआर में अपडेट किए जाते हैं और अभिदाता के खातों को वर्तमान ग्राहक समुचित सावधानी मानकों (सीडीडी) में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

12.11 रिपोर्टिंग इकाई समय-समय पर यथानिर्धारित सीकेवाईसी डेटा अपलोड/डाउनलोड आदि से संबंधित एमआईएस पीएफआरडीए को प्रस्तुत करेगा।

13. थर्ड पार्टी केवाईसी पर निर्भरता

13.1 खंड 8 के अंतर्गत केवाईसी मानदंडों के प्रयोजनों के लिए, जबकि रिपोर्टिंग इकाइयाँ अंततः ग्राहक समुचित सावधानी मानकों के लिए जिम्मेदार हैं और लागू होने वाले संवर्धित समुचित सावधानी मानकों को पूरा करती हैं, रिपोर्टिंग इकाइयाँ पीएमएल नियमों के नियम (9) के उप-नियम (2) के अंतर्गत निर्दिष्ट शर्तों के अधीन तीसरे पक्ष द्वारा किए गए केवाईसी को विश्वसनीय मान सकती हैं।

13.2 रिपोर्टिंग संस्थाएं पीएफआरडीए के परिपत्र संख्या पीएफआरडीए/2019/16/पीडीईएस/2 दिनांक 23 सितंबर 2019 (अनुलग्नक 4) के के अनुसार केवाईसी के लिए सेबी के आरए का उपयोग कर सकती हैं।

13.3 तृतीय पक्ष केवाईसी पर निर्भरता का अंतिम उत्तरदायित्व रिपोर्ट कर्ता इकाई का है।

14. राजनीतिक पैठ वाले व्यक्तियों (पीईपी) के पेंशन खाते

14.1 इस बात पर जोर दिया जाता है कि विशेष रूप से राजनीतिक पैठ वाले व्यक्तियों (पीईपी) के प्रस्तावों को रिपोर्ट कर्ता इकाई के वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा जांचा जाना अपेक्षित है।

14.2 रिपोर्टिंग इकाइयों को निदेश दिया जाता है कि वे पीईपी और ग्राहकों, जो पीईपी के परिवार के सदस्य, करीबी रिश्तेदार/सहयोगी हैं, को सतत आधार पर संवर्धित समुचित सावधानी उपायों की पहचान करने और उन्हें लागू करने के लिए उपयुक्त चल रही जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं निर्धारित करें। इन उपायों को उन पेंशन खातों पर भी लागू किया जाना है जिनमें पीईपी लाभार्थी/नामिती है।

14.3 यदि जारी जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं से संकेत मिलता है कि अभिदाता या लाभार्थी पीईपी पाया जाता है या बाद में पीईपी बन जाता है, तो वरिष्ठ प्रबंधन को इस व्यावसायिक संबंध पर सूचित किया जाना चाहिए और इस तरह के संबंधों पर संवर्धित समुचित सावधानी उपायों को लागू करना चाहिए।

14.4 रिपोर्टिंग इकाइयां यह निर्धारित करने हेतु उचित उपाय करेंगे कि क्या पेंशन खाते के लाभार्थी निकासी के समय पीईपी हैं, और उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आंतरिक नियंत्रण मौजूद हैं। रिपोर्टिंग इकाई जो निकास अनुरोध को संसाधित करती है, उसे यह निर्धारित करने के लिए, कि धन का प्राप्तकर्ता पीईपी है या नहीं, ऐसी निकासी की जोखिम-आधारित निगरानी को लागू करना चाहिए।

14.5 रिपोर्टिंग इकाइयाँ धन के स्रोत और पीईपी के रूप में चिह्नित अभिदाताओं के धन के स्रोत को स्थापित करने के लिए उचित उपाय करेंगी। [ख]

15. गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 51क का कार्यान्वयन

15.1 गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 51 क, आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम और उनका मुकाबला करने के उद्देश्य से यूएपीए संशोधन अधिनियम, 2008 के माध्यम से लागू की गई थी। इस संबंध में, केंद्र सरकार ने 2 फरवरी 2021 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें यूएपीए की धारा 51क के कार्यान्वयन की प्रक्रिया का विवरण दिया गया है।

15.2 रिपोर्टिंग इकाइयों को ऐसे अभिदाता का पेंशन खाता नहीं खोलना चाहिए जिसकी पहचान संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधितसूची में शामिल किसी व्यक्ति से मेल खाती हो और जिनके आतंकवादियों या आतंकवादी संगठनों से संबंध होने की सूचना दी गई हो।

15.3 रिपोर्टिंग इकाइयाँ प्रतिबंधित व्यक्तियों की अद्यतन सूची के लिए समय-समय पर गृह मंत्रालय की वेबसाइट की जांच करेंगी।

15.4 रिपोर्टिंग इकाइयाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप में नामित व्यक्तियों की एक अद्यतन सूची बनाएंगी और नियमित आधार पर प्रदत्त मानकों की जांच करेंगी ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि नामित व्यक्ति कोई पेंशन खाते धारण कर रहे हैं या नहीं। यूएनएससी 1267 के अनुसरण में स्थापित सुरक्षा परिषद समिति द्वारा अनुमोदित विभिन्न प्रतिबंध उपायों के अधीन व्यक्तियों और संस्थाओं की एक अद्यतन सूची को https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list पर संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट लिंक से और यूएनएससी 1988 को संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट लिंक <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials> से प्राप्त किया जा सकता है।

15.5 गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 51A के आधार पर, केंद्र सरकार को किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं के माध्यम से भारत में प्रवेश या पारगमन को रोकने, जब्त करने या धन को जब्त करने और / या रोकने का अधिकार है। [सूची वेबसाइट <http://www.mha.gov.in> पर उपलब्ध]

है]। उक्त धारा को लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा संदर्भ आदेश फ़ाइल संख्या 14014/01/2019/सीएफटी दिनांक 2 फरवरी, 2021 द्वारा जारी किया गया है। बीमा क्षेत्र के संदर्भ में लागू होने वाले उक्त आदेश के मुख्य पहलू एनपीएस/एनपीएस लाइट/एपीवाई अथवा पीएफआरडीए द्वारा विनियमित या प्रशासित किसी अन्य योजना पर भी लागू होंगे।

15.6 यूएपीए के लिए नोडल अधिकारियों की सूची गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

15.7 यूएपीए की धारा 51क के कार्यान्वयन के लिए, पीएफआरडीए ने परिपत्र सं पीएफआरडीए/2023/12/रिपोर्ट कर्ता इकाईजी-पीओपी/04 दिनांक 20.03.2024 ने 'विनियमन अंशदान प्रबंधन विभाग के प्रमुख' को पीएफआरडीए से यूएपीए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया है।^[d]

16. एएमएल/सीएफटी व्यवस्था में कमी के रूप में चिह्नित देशों के अधिकार क्षेत्र में उपस्थित संभावनाएं

रिपोर्टिंग इकाइयों के लिए अपेक्षित है :

16.1 रिपोर्टिंग इकाई विशेष रूप से जोखिम के अनुपात में, व्यापार संबंधों और उन देशों के साथ लेनदेन के लिए समुचित सावधानी (ईडीडी) उपायों को लागू करेगी, जिनके लिए एफएटीएफ द्वारा इसकी मांग की जाती है।^[b]

16.2 असामान्य अंशदानों पर विशेष ध्यान देना होगा, विशेष रूप से वे जिनके पास स्पष्ट आर्थिक या दृश्यमान वैध उद्देश्य नहीं हैं। ऐसे सभी मामलों में, जहां तक संभव हो, ऐसे लेनदेनों की पृष्ठभूमि और उद्देश्य की जांच करनी होगी और सक्षम प्राधिकारियों की सहायता के लिए लिखित रूप में निष्कर्षों को रखना होगा।

16.3 अभिकर्ताओं/मध्यस्थों/कर्मचारियों को इस अनुलग्नक का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित रूप से सूचित किया जाएगा।

16.4 एफएटीएफ के विवरणों से परे जाकर उन देशों की पहचान करते समय सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर विचार करना होगा, जो एफएटीएफ सिफारिशों को लागू नहीं करते हैं या अपर्याप्त रूप से लागू करते हैं।

16.5 पूर्व अनुभवों, लेन-देन के इतिहास या अन्य कारकों (जैसे, कानूनी विचार, या आधिकारिक भ्रष्टाचार के आरोपों) के आधार पर आतंकवादी वित्तपोषण या धन-शोधन परिप्रेक्ष्य से उच्च जोखिम वाले देशों के लिए समान उपाय किया जाए।

17. रिपोर्टिंग दायित्व

17.1 एनपीएस एक असमूहीकृत स्थापत्य है जहां केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण (सीआरए) सभी लेनदेन का केंद्रीय रूप से रिकॉर्ड रखती है। सीआरए, पीएमएल नियमों के अनुसार निदेशक, एफआईयू-आईएनडी को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए जिम्मेदार है।

17.2 उपर्युक्त के अलावा, रिपोर्ट कर्ता इकाई द्वारा पीएमएल नियमों के नियम 7 के संदर्भ में नियम 3 में निर्दिष्ट जानकारी को निदेशक, वित्तीय खुफिया इकाई- भारत (एफआईयू-आईएनडी) को भी प्रस्तुत की जाएगी। स्पष्टीकरण : दिनांक 22 सितंबर, 2015 को अधिसूचित तीसरे संशोधन नियमों में नियम 7 के उप नियम 3 और 4 में संशोधन के संबंध में निदेशक, एफआईयू-आईएनडी को नियम 3 के उप-नियम (1) के विभिन्न खंडों में निर्दिष्ट लेनदेन का पता लगाने के लिए, उन्हें सूचना प्रस्तुत करने के रूप के बारे में निर्देश देने और प्रक्रिया और जानकारी प्रस्तुत करने की विधि निर्दिष्ट करने के लिए, रिपोर्टिंग इकाइयों को दिशानिर्देश जारी करने की शक्तियां होंगी।

17.3 रिपोर्टिंग प्रारूप और व्यापक रिपोर्टिंग प्रारूप गाइड, एफआईयू-आईएनडी द्वारा निर्धारित/जारी और रिपोर्ट जनरेशन यूटिलिटी और रिपोर्ट वैलिडेशन यूटिलिटी को निर्धारित रिपोर्ट तैयार करने में रिपोर्टिंग इकाइयों की सहायता के लिए विकसित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर)/संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) जिसे एफआईयू-आईएनडी ने अपनी वेबसाइट पर रखा है, को दर्ज करने के लिए संपादन योग्य इलेक्ट्रॉनिक उपयोज्यताओं का उपयोग उन रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा किया जाएगा जिन्होंने अभी तक अपने लाइव लेनदेन डेटा से सीटीआर/एसटीआर निकालने के लिए उपयुक्त तकनीकी उपकरण स्थापित नहीं किए/नहीं अपनाए हैं। उन रिपोर्टिंग इकाइयों के प्रधान अधिकारी, जिनकी सभी शाखाएं पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत नहीं हैं, उन शाखाओं से लेन-देन के विवरण निकालने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करेंगे और सीटीआर/एसटीआर की संपादन योग्य इलेक्ट्रॉनिक उपयोज्यताओं की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक फाइल में डेटा फीड करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करेंगे जैसा कि एफआईयू-आईएनडी द्वारा अपनी वेबसाइट <http://fiuindia.gov.in> पर उपलब्ध कराया गया है।

17.4 जहां भी आवश्यक हो, एफआईयू-आईएनडी द्वारा जारी रेड फ्लैग संकेतकों को भी संदिग्ध लेनदेन के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए।

17.5 निदेशक, एफआईयू-आईएनडी को सूचना प्रस्तुत करते समय, लेनदेन की रिपोर्ट न करने में प्रत्येक दिन की देरी या नियम में निर्धारित समय सीमा से परे गलत प्रतिनिधित्व वाले लेनदेन को सुधारने में प्रत्येक दिन की देरी को एक अलग उल्लंघन के रूप में माना जाएगा। रिपोर्टिंग इकाइयाँ उन खातों में परिचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगी जहां एसटीआर दायर किया गया है। रिपोर्टिंग इकाइयाँ एसटीआर प्रस्तुत करने के तथ्य को पूरी तरह से गोपनीय रखेंगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी स्तर पर अभिदाता को कोई सूचना न होने पाए। गोपनीयता के कारण समूह में संस्थाओं के बीच जानकारी साझा करने में बाधा नहीं आनी चाहिए। [b]

- 17.6 सशक्त सॉफ्टवेयर, जब लेनदेन जोखिम वर्गीकरण के साथ असंगत हों तो अलर्ट देने चाहिए और अभिदाताओं के अद्यतन प्रोफाइल को संदिग्ध लेनदेन की प्रभावी पहचान और रिपोर्टिंग के एक भाग के रूप में उपयोग में लाया जाना चाहिए।
- 17.7 रिपोर्टिंग इकाइयाँ संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने और रिपोर्ट करने में सहायता के लिए अलर्ट जनरेशन सिस्टम को लागू करने में उनके पास उपलब्ध डेटा पॉइंट्स/रिकॉर्ड की व्यापक संख्या का लाभ उठाएंगी।
- 17.8 रिपोर्टिंग इकाइयों को किसी भी अनियमित इकाई के साथ किसी व्यवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिपोर्टिंग संस्थाओं के किसी भी रिपोर्टिंग दायित्वों को बाधित करने का प्रभाव डालता हो।

18. अभिलेखपालन

- 18.1 पीएमएल नियमों के नियम 5 के मद्देनजर, रिपोर्टिंग इकाइयों, इसके नामित निदेशक, प्रधान अधिकारी, कर्मचारियों को सभी लेनदेन के प्रकारों की जानकारी / रिकॉर्ड के साथ ही ग्राहकों की पहचान के सत्यापन से संबंधित अभिलेखों को पांच साल की अवधि के लिए बनाए रखने की आवश्यकता है [जैसा कि पीएमएल नियम 2005 के नियम 3 और 4 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है] उक्त नियम 3 में निर्दिष्ट रिकॉर्ड लेनदेन की तिथि से पांच साल की अवधि के लिए रखा जाएगा। अन्य सभी लेनदेनों से संबंधित रिकार्ड, (जिनके लिए रिपोर्टिंग संस्थाएं अन्य लागू विधानों/विनियमों/नियमों के अंतर्गत अभिलेखों का रखरखाव करने के लिए बाध्य हैं) रिपोर्टिंग करने वाली कंपनियों को उक्त विधान/विनियमों/नियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार, अभिदाता के साथ व्यावसायिक संबंध समाप्त होने की तिथि से न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि के लिए अभिलेख रखने का निदेश दिया जाता है।
- 18.2 अभिलेखों का रखरखाव इलेक्ट्रॉनिक रूप और/या भौतिक रूप में किया जा सकता है। किन्तु ऐसे मामलों में जहां तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का उपयोग किया जाता है,

 - 18.2.1 रिपोर्टिंग इकाइयाँ संगठनात्मक क्षमताओं के बारे में संतुष्ट होंगी, और यह कि प्रौद्योगिकी, प्रणालियां और मानक ऐसी स्थिति में हैं कि रक्षित आंकड़ों की गोपनीयता बनाए रखने और रिकॉर्ड और आंकड़ों की अनाधिकृत पहुंच, परिवर्तन, विनाश, प्रकटीकरण या प्रसार को रोकने में सक्षम हैं।
 - 18.2.2 परिसरों, सुविधाओं, स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, डेटा भंडारण साइटों और बैक-अप साइटों और अन्य सुविधाओं सहित सुविधाओं और सेवा प्रदाता के इलेक्ट्रॉनिक डेटा संचार नेटवर्क तक भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक पहुंच को नियंत्रित, मॉनिटर और अभिलेखित किया जाता है।
 - 18.2.3 सेवा प्रदाता ने डेटा के इलेक्ट्रॉनिक संचार के लिए मानक पारेषण और कूटलेखन प्रारूप और गैर-अस्वीकरण सुरक्षा उपाय भी स्थापित किए हैं।

18.2.4 यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रासंगिक और वर्तमान डेटा संरक्षण कानूनों के अंतर्गत प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया जा रहा है।

18.3 रिपोर्टिंग इकाइयों को लेनदेनों के आंतरिक रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए विशिष्ट प्रक्रियाओं को लागू करना चाहिए, ताकि वे सक्षम प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना अनुरोधों का शीघ्रता से अनुपालन करने में सक्षम हो सकें। इस तरह के रिकॉर्ड व्यक्तिगत लेनदेन के पुनर्निर्माण की अनुमति देने के लिए पर्याप्त होने चाहिए (इसमें शामिल मुद्रा की मात्रा और प्रकार (यदि कोई हो) शामिल हैं, ताकि आवश्यक होने पर, आपराधिक गतिविधि के अभियोजन के लिए साक्ष्य प्रदान किया जा सके। रिपोर्टिंग इकाइयों को उन खातों के रिकॉर्ड को बनाए रखना चाहिए, जिन्हें उस निपटान के बाद कम से कम पांच साल की अवधि के लिए दावे द्वारा निपटाया गया है।

18.4 ऐसी स्थितियों में, जहां चल रही जांच, या लेनदेन से संबंधित रिकॉर्ड हैं जो किसी प्रकटन का विषय रहे हैं, उन्हें तब तक बनाए रखा जाना चाहिए जब तक कि यह पुष्टि न हो जाए कि मामला बंद कर दिया गया है। जहां व्यावहारिक हो, रिपोर्टिंग इकाइयों को ऐसे सभी लेनदेन के लिए प्रासंगिक पहचान दस्तावेजों की तलाश करना और बनाए रखना और संदिग्ध निधियों के ऐसे लेनदेन की रिपोर्ट करना आवश्यक है।

18.5 अभिदाता की पहचान के मामले में, अभिदाता समुचित सावधानी प्रक्रिया, खाता फाइलों और व्यावसायिक पत्राचार के माध्यम से प्राप्त डेटा को व्यावसायिक संबंध समाप्त होने के बाद कम से कम पांच वर्षों तक (भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप से) रखा जाना चाहिए।

19. लेनदेन की निगरानी

19.1 केवाईसी/एएमएल/सीएफटी प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए लेनदेनों की नियमित निगरानी महत्वपूर्ण है। यह तभी संभव है जब रिपोर्टिंग संस्थाओं को अभिदाता की सामान्य गतिविधि की समझ हो ताकि वह लेनदेन/गतिविधियों में हुए विचलन की पहचान कर सके।

19.2 रिपोर्टिंग इकाइयाँ उन सभी जटिल बड़े लेनदेनों/पैटर्नों पर विशेष ध्यान देंगी जिनका कोई आर्थिक उद्देश्य नहीं है। रिपोर्टिंग इकाइयाँ, अभिदाता खातों के प्रत्येक वर्ग के लिए आंतरिक थ्रेशोल्ड सीमाएं निर्दिष्ट कर सकती हैं और इन सीमाओं से अधिक लेनदेन को संज्ञान में लिया जा सकता है। इस तरह के लेनदेन और उसके उद्देश्य से संबंधित मांगे गए सभी दस्तावेजों / कार्यालय रिकॉर्ड / ज्ञापन / स्पष्टीकरण सहित पृष्ठभूमि की भी सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी और निष्कर्षों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे निष्कर्ष, रिकॉर्ड और संबंधित दस्तावेज अंकेक्षकों और पीएफआरडीए/एफआईयू-आईएनडी/अन्य संबंधित प्राधिकरणों को अंकेक्षण, निरीक्षण के दौरान या जब भी आवश्यक हो, उपलब्ध कराए जाएंगे। इन अभिलेखों को लेनदेन की तिथि से पांच साल की अवधि के लिए बनाए रखा और संरक्षित किया जाना आवश्यक है।

19.3 रिपोर्टिंग संस्थाओं के प्रधान अधिकारी निगरानी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि नियमित रूप से निदेशक, एफआईयू-आईएनडी को संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट की जाएगी।

19.4 इसके अलावा, रिपोर्टिंग इकाइयों का अनुपालन प्रकोष्ठ अभिदाताओं द्वारा किए गए लेनदेनों के नमूने की यादचिक रूप से जांच करेगा ताकि उनकी संदिग्ध या असंदिग्ध प्रकृति पर टिप्पणी की जा सके।

20. निरस्त करने के प्रावधान

इन दिशानिर्देशों के लागू होने की तिथि से पीएफआरडीए द्वारा जारी परिशिष्ट में उल्लिखित परिपत्र में निहित अनुदेश/दिशानिर्देश निरसित माने जाएंगे।

21. इन दिशानिर्देशों में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, इन दिशानिर्देशों के किसी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में किसी भी मुद्दे के मामले में, एफआईयू इंडिया के प्रावधान/निर्देश, पीएमएल अधिनियम/आधार अधिनियम/आयकर अधिनियम और समय-समय पर संशोधित उनके नियम प्रभावी होंगे।

22. रिपोर्टिंग इकाइयों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपने केवाईसी/एएमएल/सीएफटी कार्यक्रम को व्यापक रूप से समझने, लागू करने, अद्यतन करने और इस दिशा-निर्देश के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियमित आधार पर मौजूदा प्रासंगिक निर्देशों, नियमों, कानूनों और प्रावधानों का संदर्भ लें।

संलग्नक	परिपत्र संख्या और तिथि	पैरा नं. भाग सी के अंतर्गत	विषय
अनुलग्नक 1	NA	4.5	अनुपालन प्रमाणपत्र
अनुलग्नक 2	पीएफआरडीए/2020/46/एसयूपी सीआरए/18 दिनांक 06.10.2020	8.1.5.4	एनपीएस के लिए वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वीसीआईपी)
अनुलग्नक 3	पीएफआरडीए/2021/05/पीडीईएस/05 दिनांक 03.02.2021	8.1.5.6	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली सेवाओं के लिए डिजिलॉकर
अनुलग्नक 4	पीएफआरडीए/2019/16/पीडीईएस/02 दिनांक 23.09.2019	13.2	पीओपी द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में अभिदाताओं को शामिल करने के लिए सेबी के आरए का उपयोग



MASTER CIRCULAR

PFRDA/Master Circular/2024/04/PoP-02

23rd January, 2023

(Updated as on 7th June, 2023)

(Updated as on 7th August, 2023)

(Updated as on 12th October, 2023)

(Updated as on 10th April, 2024)

To

All Point of Presence (POPs) and NPS Trust^[a]

Madam/Sir,

Master Circular - Guidelines on Know Your Customer / Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism (KYC/AML/CFT)

1. This circular is issued in exercise of powers conferred under Section 14(1) of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (PFRDA Act) for the implementation of the provisions of the Prevention of Money Laundering Act, 2002, and rules notified thereunder, in respect of the pension schemes regulated and administered by the Authority.
2. This master circular consolidates the existing instructions on the subject of "Guidelines on Know Your Customer / Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism (KYC/AML/CFT)" at one place.
3. The list of underlying circulars consolidated in the Master Circular – is placed at **Annexure I** and the list of circulars rescinded from time to time and archived is placed at **Annexure II**.

This circular is issued with the approval of the competent authority.

Yours faithfully,

(Ashish Kumar Bharati)
General Manager

CONTENTS	
PART I	Introduction
PART II	General Guidelines
PART III	Guidelines on Know Your Customer / Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism (KYC/AML/CFT)
PART IV	List of circulars consolidated in the Master Circular - Annexure I
	List of circulars Rescinded and Archived - Annexure II

Master Circular

Guidelines on Know Your Customer / Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism (KYC/AML/CFT)

PART I

1. Introduction

1.1 These guidelines shall be called as Guidelines on Know Your Customer / Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism (KYC/AML/CFT).

1.2 National Pension System (NPS) has an unbundled Architecture, where each function is performed by different intermediaries appointed by the PFRDA viz. Pension Funds, Custodian, Central Recordkeeping Agency (CRA), National Pension System Trust, Trustee Bank, Points of Presence (PoP) and Annuity Service Providers (ASPs). Wherein, the role of CRA is recordkeeping, administration and customer service functions for all the subscribers of the NPS including issuance of unique Permanent Retirement Account Number (PRAN) to each subscriber, maintaining a database of all PRANs issued and recording transactions relating to each subscriber's PRAN.

1.3 Money Laundering is a process or activity through which proceeds of crime (i.e., illegally acquired money) are converted in the financial systems (by means of undertaking transactions) so that it appears to be legally acquired. Section 3 of PML Act prescribes the Offence of Money Laundering.

1.4 In terms of the provisions of Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PML Act), Section 11A thereof and the Prevention of Money Laundering (Maintenance of records) Rules, 2005 (PML Rules), reporting entities (RE) are required to follow Customer Identification Procedures (CIP) while undertaking a transaction at the time of establishing an account-based relationship / client-based relationship and monitor their transactions on an on-going basis.

1.5 The obligation to establish an anti-money laundering mechanism and formulate and implement a Client Due Diligence (CDD) Programme applies to RE as per provisions of Section 12 and Section 12AA of the PML Act and Rule 9 of the PML (Maintenance of Records) Rules, 2015. RE shall have the responsibility for compliance of the provisions of the PML Act, rules and guidelines issued by the Authority in respect of NPS, NPS Lite, Atal Pension Yojana (APY) or any other pension scheme regulated / administered by Authority and take necessary actions including maintenance of records and reporting.

1.6 All REs shall take steps to implement provisions of the PML Act and the PML Rules, Section 51A of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (UAPA) as amended from time to time, including operational instructions issued through circulars/guidelines/ directions in pursuance of such amendment(s).

PART II

2. GENERAL GUIDELINES

2.1 The compliance obligation of the intermediary/entity shall not be confined merely to the Master Circular, but also the applicable laws.

2.2 This Master Circular shall take effect from the date of its issuance but shall be without prejudice to their (earlier issued circulars) operation and effect, for the period when they were in force, until them being subsumed under the Master Circular. Based on the above caveat, **Part IV** containing the list of circulars consolidated in the Master Circular – is placed at **Annexure I**, such that they are subsumed in the Master Circular and for all purpose and intent, remain operative, with no break of continuity. The list of circulars rescinded from time to time and archived is placed at **Annexure II**.

2.3 Notwithstanding such rescission of any circular, upon their merger in the Master Circular, or otherwise, anything done or any action taken or purported to have been done or taken, or to be taken hereafter, under the circulars now rescinded (for the period of their operation) shall be construed to have been validly taken as if the said circulars are in full force and effect and shall remain unaffected by their rescission, in any manner.

2.4 The previous operation of the rescinded circulars or anything duly done or suffered thereunder, any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred, any penalty, any order passed, any violation committed, any investigation, legal proceedings pending in terms of the circular (now rescinded), shall be treated as if the circulars are in full force and effect, and shall remain unaffected by their rescission, in any manner.

PART III

3. DEFINITIONS

In these guidelines, unless the context otherwise requires, the terms herein shall bear the meanings assigned to them below:

3.1 "Aadhaar number", shall have the meaning assigned to it under clause (a) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, hereinafter referred to as "Aadhaar Act".

3.2 "Act / PML Act / PMLA" means the Prevention of Money Laundering Act, 2002.

3.3 "Authentication", means the process as defined under clause (c) of section 2 of the Aadhaar Act.

3.4 "Central KYC Records Registry" (CKYCR) means an entity defined under clause (ac) of sub rule (1) of Rule 2 of the PML Rules.

3.5 "Certified copy" shall mean comparing the copy of officially valid document so produced by the subscriber with the original and recording the same on the copy by the authorised officer of the reporting entity in a manner specified by PFRDA.

3.6 "Client" shall have the meaning assigned to it under clause (ha) of sub section (1) of Section 2 of the PML Act.

3.7 "Client Due Diligence" (CDD) shall have the meaning assigned to it under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the PML Rules.

3.8 "Designated Director" shall have the meaning assigned to it under clause (ba) of sub-rule (1) of Rule 2 of the PML Rules.

3.9 "Digital KYC" shall have the meaning assigned to it under clause (bba) of sub-rule (1) of Rule 2 of the PML Rules.

3.10 "Equivalent e-document" shall have the meaning assigned to it under clause (cb) of sub-rule (1) of Rule 2 of the PML Rules.

3.11 "Financial Group" means a group that consists of a parent company or of any other type of entity exercising control and coordinating functions over the rest of the group, together with branches and/or subsidiaries that are subject to AML/CFT policies and procedures at the group level.^[b]

3.12 "KYC Templates" means templates prepared to facilitate collating and reporting the KYC data to the CKYCR.

3.13 "KYC Identifier" shall have the meaning assigned to it under clause (cc) of sub-rule (1) of Rule 2 of the PML Rules.

3.14 "KYC Records" shall have the meaning assigned to it under clause (cd) of sub-rule (1) of Rule 2 of the PML Rules.

3.15 "Non-face-to-face customers" shall have the same meaning assigned to it under sub clause (ix) of 3(b) of Chapter I of Master Direction – Know Your Customer (KYC) Direction, 2016 issued by Reserve Bank of India (RBI), as amended from time to time.

3.16 "Offline verification" shall have the same meaning as assigned to it in clause (pa) of section 2 of the Aadhaar Act.

3.17 "On-going Due Diligence" means regular monitoring of transactions to ensure that they are consistent with the subscriber's profile and source of funds.

3.18 "Officially valid document" shall have the meaning assigned to it under clause (d) of sub-rule (1) of Rule 2 of the PML Rules.

3.19 "Politically Exposed Persons" (PEPs) shall have the same meaning assigned to it as an explanation to Section 41 of Master Direction – Know Your Customer (KYC) Direction, 2016 issued by Reserve Bank of India (RBI), as amended from time to time.

3.20 "Periodic updation" means steps taken to ensure that documents, data or information collected under the CDD process is kept up-to-date and relevant by undertaking reviews of existing records at periodicity prescribed by PFRDA.

3.21 “Principal Officer” shall have the same meaning assigned to it under clause (f) of sub-rule (1) of Rule 2 of the PML Rules.

3.22 “Reporting entity” has the same meaning assigned to it under clause (wa) of sub section (1) of section 2 of the PML Act.

3.23 “Rules / PML Rules” means the Prevention of Money Laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005.

3.24 “Suspicious Transaction” shall have the meaning assigned to it under clause (g) of sub-rule (1) of Rule 2 of the PML Rules.

3.25 “Video Based Customer Identification Process (VCIP)” means an alternative (optional) electronic process of Identification/ KYC in paperless form, carried out by the reporting entities by undertaking seamless, secure, real-time with geo-tagging, consent based audio-visual interaction with the subscriber to obtain identification information including the necessary KYC documents required for the purpose of client due diligence and to ascertain the veracity of the information furnished by the subscriber.

3.26 “Subscriber” shall have the meaning as per clause (t) of sub-section (1) of section 2 of the PFRDA Act. In these guidelines, the phrase Subscriber, Customer and Client has been used interchangeably and shall be considered to have the same meaning.

3.27 Words and expressions used and not defined in these guidelines but defined in the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013, the PML Act, the PML Rules, the Aadhaar Act, Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts, Rules, Regulations, Guidelines issued under those Acts, as the case may be.

4. Internal policies, procedures, controls, responsibility and compliance arrangement

4.1 Every reporting entity, has to establish and implement policies, procedures, internal controls and formulate and implement a Client Due Diligence (CDD) Programme that effectively serves to prevent and impede Money Laundering (ML) and Terrorist Financing (TF).

4.2 To be in compliance with these obligations, the senior management of every reporting entity shall be fully committed to establishing appropriate policies and procedures for the prevention of ML and TF and ensuring their effectiveness and compliance with all relevant legal and regulatory requirements. The reporting entities shall:

4.2.1 Develop a KYC/AML/CFT program comprising of policies and procedures, for dealing with KYC, ML and TF reflecting the current statutory and regulatory requirements.

4.2.2 Ensure that the content of these guidelines are understood by all employees, business correspondents, associated Retirement Advisers, PoP Sub-Entity and agents engaged in facilitating distribution of NPS / APY or any other pension scheme regulated or administrated by PFRDA and develop awareness and vigilance to guard against ML and TF amongst them.

4.2.3 The KYC/AML/CFT policy should have the approval of the Board of Directors or equivalent authority of RE. The program and processes emanating from the Board approved policy shall be reviewed periodically on the basis of risk exposure and suitable changes (if any) be effected based on experience and to comply with the extant PML Act / PML Rules / Regulations / Guidelines and other applicable norms.

(If the RE already has the Board approved policy on KYC/AML/CFT in compliance of the guidelines issued by other financial sector regulator then activities related to NPS may be included in that policy.)

4.2.4 The Board of Directors or equivalent authority or Committee of the Board or the Senior Management Official(s) designated by the Board shall be apprised about the observations, violations, reporting etc., including follow-up action on periodic basis.

4.2.5 Undertake CDD measures to an extent that is sensitive to the risk of ML and TF depending on the type of subscriber, business relationship or transaction.

4.2.6 Have in place a system for identifying, monitoring and reporting suspected ML or TF transactions to Financial Intelligence Unit – India(FIU-IND) and the law enforcement authorities in accordance with the guidelines issued by Government of India

4.3 Policies and procedures set under KYC/AML/CFT program shall cover:

4.3.1 Communication of policies relating to prevention of ML and TF to all level of management and relevant staff that handle subscribers' information (whether in branches or departments) in all the offices of the reporting entities;

4.3.2 The Client Due Diligence Program including policies, controls and procedures, approved by the Board of Directors or equivalent authority or Committee of the Board or the Senior Management Official(s) designated by the Board to enable the reporting entities to manage and mitigate the risk that have been identified by the reporting entities;

4.3.3 Maintenance of records;

4.3.4 Compliance with relevant statutory and regulatory requirements;

4.3.5 Co-operation with the relevant law enforcement authorities, including the timely disclosure of information;

4.3.6 Role of internal audit or compliance function to ensure compliance with the policies, procedures and controls relating to the prevention of ML and TF including the testing of the system for detecting suspected money laundering transactions, evaluating and checking the adequacy of exception reports generated on large and/or irregular transactions, the quality of reporting of suspicious transactions and the level of awareness of frontline staff, of their responsibilities in this regard. The internal audit function shall be independent, adequately resourced and commensurate with the size of the business and operations, organization structure, number of subscribers and other such factors.

4.4 Responsibility of reporting entities:

The guidelines place the responsibility of a robust KYC/AML/CFT program on the reporting entities. This necessitates that the following steps are taken to strengthen the level of control on employees, business correspondents, associated Retirement Advisers, PoP Sub-Entity and agents of reporting entities:

4.4.1 Standard Operating Procedure / Guidance note / Process document covering responsibilities of representatives of reporting entities must be put in place. A clause to this effect should be suitably included as part of the contract(s) entered with them.

4.4.2 Reporting entities shall initiate appropriate actions against defaulting representative of reporting entity who expose the reporting entities to KYC/AML/CFT related risks on multiple occasions.

4.4.3 As some reporting entities are allowed to engage the services of individual like business correspondents or agents for facilitating the distribution of pension schemes, thus the engagement process of such individuals shall be monitored scrupulously in view of set KYC/AML/CFT measures.

4.4.4 Financial groups shall be required to implement group-wide programmes against ML/TF, which should be applicable, and appropriate to, all branches and majority-owned subsidiaries of the financial group:

- a. policies and procedures for sharing information required for the purposes of Customer Due Diligence and ML/TF risk management;
- b. the provision, at group-level compliance, audit, and/or AML/CFT functions, of customer, account, and transaction information from branches and subsidiaries when necessary for AML/CFT purposes. This should include information and analysis of transactions or activities which appear unusual (if such analysis was done). Similarly branches and subsidiaries should receive such information from these group-level functions when relevant and appropriate to risk management; and
- c. adequate safeguards on the confidentiality and use of information exchanged, including safeguards to prevent tipping-off.^[b]

4.4.5 The overseas branches of the reporting entity to conduct client due diligence /AML standard for the subscribers specified by the PFRDA for the pension scheme regulated/administered by PFRDA. If the host country does not permit implementation of these guidelines, reporting entity should apply appropriate additional measures to manage the money laundering and terrorist financing risks, and inform the same to PFRDA.^[b].

4.5 Certificate of Compliance:

Reporting entities shall submit certificate of compliance as provided in **Annexure 1** along with submission of Annual Compliance Certificate i.e., till 31st October of succeeding Financial Year.

5. Appointment of a Designated Director and a Principal Officer

5.1 A “Designated Director”, who has to ensure overall compliance with the obligations imposed under chapter IV of the PML Act and the PML Rules, shall be appointed or designated by the reporting entities.

5.2 A “Principal Officer” (PO) at a senior management shall be appointed to ensure compliance with the obligations imposed under chapter IV of the PML Act and the PML Rules.

5.3 The contact details (including mobile number, email ID and business address) of the Designated Director and the Principal Officer shall be submitted within 30 days from the date of issuance of these guidelines to Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) and FIU-IND. Any changes thereon shall be communicated to PFRDA and FIU-IND within 30 days of its effect.

Provided further that any entity (falling under the definition of RE) shall at the time of making application for fresh registration, submit the details as mentioned above.

5.4 In terms of Section 13 of the PML Act, the Director, FIU-IND can take appropriate action, including imposing a monetary penalty on reporting entities or its Designated Director or any of its employees for failure to comply with any of its KYC/AML/CFT obligations.

6. Recruitment and Training

6.1 Adequate screening mechanism as an integral part of their personnel recruitment/hiring process shall be put in place.

6.2 On-going training programme shall be put in place so that the members / staff are adequately trained in KYC/AML/CFT policy. The focus of the training shall be different for frontline staff, compliance staff, staff dealing with new subscribers. The frontline staff shall be specially trained to handle issues arising from lack of subscriber education. Proper staffing of the audit function with persons adequately trained and well-versed in KYC/AML/CFT policies of the reporting entities, guideline and related issues shall be ensured.

7. Internal Control/Audit

Internal audit/inspection department of reporting entities or the external auditor appointed by RE shall periodically verify compliance with the extant policies, procedures and controls related to money laundering activities on the basis of overall risk assessment. Reporting entities shall also upgrade its questionnaire and system from time-to-time in accordance with the extant PML Act and PML Rules. The reports should specifically comment on the robustness of the internal policies and processes in this regard and make constructive suggestions where necessary, to strengthen the policy and implementation aspects. Reporting entities shall submit audit notes and compliance to the Audit Committee and in its absence directly to the Board or equivalent authority of the RE.

8. Know Your Customer (KYC) Norms

8.1 KYC Norms

8.1.1 Reporting entities should make best efforts to determine the true identity of subscriber(s).

8.1.2 No reporting entity shall allow the opening of or keep any anonymous account or account in fictitious names or open account of any person whose identity has not been disclosed or cannot be verified. Effective procedures should be put in place to obtain requisite details for proper identification of new/ existing subscriber(s).

8.1.3 Reporting entities shall verify the identity, address and recent photograph in compliance with provision as specified in PML Rules.

8.1.4 At any point of time, where reporting entities are no longer satisfied about the true identity and the transaction made by the subscriber, a Suspicious Transaction Report (STR) should be filed with Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND), if it is satisfied that the transaction meets the criteria specified in sub clause (g) of clause (1) of Rule 2 of the PML Rules and guidelines / indicators issued by FIU-IND or PFRDA.

8.1.5 Reporting entities may perform KYC process by any of the following methods:

8.1.5.1 Aadhaar based KYC through Online Authentication subject to notification by the Government under section 11A of PML Act Or

8.1.5.2 Aadhaar based KYC through offline verification Or

8.1.5.3 Digital KYC as per PML Rules Or

8.1.5.4 Video Based Customer Identification Process (VCIP) as consent based alternate method of establishing the subscriber's identity using an equivalent e-document of any officially valid document (the reporting entity shall verify the digital signature as per the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) and any rules issued thereunder and take a live photo as specified in Annexure I of PML Rules and the VCIP process for various activities under NPS as has been laid down by PFRDA vide circular no. PFRDA/2020/46/SUP-CRA/18 dated 6th October 2020 (Annexure 2) Or

8.1.5.5 By using "KYC identifier" allotted to the subscriber by the CKYCR Or

8.1.5.6 By "using Digilocker" as prescribed by the PFRDA vide circular no. PFRDA/2021/5/PDES/5 dated 3rd February 2021 (Annexure 3) Or

8.1.5.7 By using certified copy of an 'officially valid document' containing details of the identity and address, recent photograph and such other documents including financial status of the subscribers

AND

8.1.5.8 PAN/Form 60 (wherever applicable) and any other documents as may be required

8.1.6 It is imperative to ensure that the contribution should not be disproportionate to income.

8.2 Client Due Diligence (CDD)

Reporting entity shall undertake CDD as per the provisions of Rule 9 of PML Rules. Accordingly, the reporting entities shall undertake CDD as follows:

8.2.1 Knowing new subscriber

In case of every new subscriber, necessary client due diligence with valid KYC documents of the subscriber shall be done at the time of commencement of account-based relationship/ client-based relationship. Such that the information or data collected under client due diligence is kept up-to-date and relevant, particularly for high risk clients.^[b]

8.2.2 Knowing existing subscribers

8.2.2.1 The AML/ CFT requirements are applicable for all the existing subscribers. Hence, necessary CDD with KYC (as per extant PML Rules) shall be done for the existing subscribers from time-to-time on the basis of the adequacy of the data previously obtained. Further, periodic updation of KYC of NPS account shall be done as follows:

- a. In case of NPS Tier II accounts (excluding Tier II Tax Saver Scheme) - Every 3 years.
- b. In case of Tier II account, where subscriber is Politically Exposed Person (PEP) – Every 2 years.
- c. At the time of exit from NPS Tier I account.
- d. Whenever there is upward revision in the risk profile of the subscriber.

e. As and when there are revision or changes in PML Act / PML Rules.

8.2.2.2 Where the risks of money laundering or terrorist financing are higher, reporting entities should be required to conduct enhanced due diligence (EDD) measures, consistent with the risks identified.

8.2.2.3 Where Reporting Entity (RE) forms a suspicion of money laundering or terrorist financing, and it reasonably believes that performing the Client Due Diligence (CDD) process will tip-off the customer, it shall not pursue the CDD process, and instead file an Suspicious Transaction Report (STR) with FIU-IND.^[c]

8.2.3 Ongoing Due Diligence

Besides verification of identity of the subscriber at the time of opening of pension account / initial contribution, risk assessment and ongoing due diligence should also be carried out at times when additional/ subsequent contributions are made.

Any change which is inconsistent with the normal and expected activity of the subscriber should attract the attention of the reporting entities for further ongoing due diligence processes and action as considered necessary.

8.2.3.1 Reporting entity shall identify the source of contribution and ensure that the contribution is being done through the subscriber's source of funds.

8.2.3.2 Verification at the time of exit (superannuation /premature exit / death etc.)

- a. No payments should be made to third parties on attainment of superannuation except payments to nominee(s)/ legal heir(s) in case of death.
- b. Necessary due diligence of the subscriber(s) / nominee(s) / legal heir(s) should be carried out before making the pay-outs/settling claims.

8.2.3.3 Notwithstanding the above, reporting entities are required to ensure that no vulnerable cases go undetected, especially, where there is suspicion of money- laundering or terrorist financing, or where there are factors to indicate a higher risk, necessary due diligence will have to be carried out on such assignments and STR should be filed with FIU-IND, if necessary.

9. Risk Assessment and Risk Categorization

9.1 While assessing the subscriber's risk profile under pensions schemes regulated / administered by PFRDA, RE may *inter-alia* take into account the following :

9.1.1 Whether contributions are mandatory contribution *viz* Employees of central / state government / autonomous bodies / public sector undertakings covered under NPS (These accounts would generally involve lower risk)

9.1.2 Whether contributions are voluntary and low-contribution: APY being fixed and low contribution pension scheme and NPS Lite being low contribution pension scheme (These accounts generally involve lower risk)

9.1.3 Contributions towards NPS Tier I account on a voluntary basis (These accounts generally involve moderate risk)

9.1.4 Voluntary contributions towards NPS Tier II account, which is a withdrawable account (These accounts involve generally higher risk in comparison to other categories)

9.2 Notwithstanding anything contained in 9.1 above, while assessing the subscriber's risk profile, RE shall consider the following factors:

9.2.1 Nature of account (For eg - NPS Tier I, NPS Tier II, NPS Tier II Tax Saver Scheme, NPS Lite, APY and any other scheme regulated/administered by PFRDA)

9.2.2 Source of contribution

9.2.3 Mode of contribution (Cash / Online / Cheque / DD/ Card/ employers bank account etc)

9.2.4 Regularity in the flow of contribution (For eg – Contributions under employer and employee relationship)

9.2.5 Withdrawals under Tier I and Tier II account

9.2.6 Residence status of subscriber (For eg – Subscribers residing in jurisdiction with higher national risk assessment)

9.2.7 Politically Exposed Person

9.2.8 Contributions made by the subscriber vis-à-vis the declared income/ income range

Above list is indicative and not exhaustive. RE may consider additional factors using its own judgement and past experience.

9.3 Reporting entities have to carry out ML and TF Risk Assessment exercise as provided in sub rule (13) of Rule 9 of PML Rules based on risk exposure to identify, assess, document and take effective measures to mitigate its ML and TF risk for subscribers or geographic areas, products, services, nature and volume of transactions or delivery channels etc. While assessing the ML/TF risk, the reporting entities are required to take cognizance of the overall sector specific and country specific vulnerabilities, if any, that the Government of India / PFRDA may share with reporting entities from time to time. Further, the internal risk assessment carried out by reporting entities should be commensurate to its size, geographical presence, complexity or activities/ structure etc.

9.4 The documented risk assessment shall be updated from time to time. The reporting entities shall consider all the relevant risk factors before determining the level of overall risk and the appropriate level and type of mitigation to be applied. It shall be made available to competent authorities and law- enforcement agencies, as and when required.

9.5 Risk Categorization:

9.5.1 Risk categorization shall be undertaken based on parameters detailed at clause 9.1 and 9.2 besides others like subscriber's identity, nature of employment, high value deposits in Tier II account / in Tier I account near superannuation, unusual withdrawals in Tier II account etc. While considering subscriber's identity, the ability to confirm identity documents through online or other services offered by issuing authorities may also be factored in. RE shall ensure enhanced due diligence (EDD) for NPS Tier II account (except accounts under NPS Tier II Tax Saver Scheme)

9.5.2 For the purpose of risk categorization, individuals whose identities and source of income can be easily identified and transactions in whose pension accounts by and large conform to the

known profile may be categorized as low-risk. For low-risk subscribers the PRAN account may require only the basic requirements like verifying the identity, current address, annual income and sources of fund of the subscriber are to be met. Notwithstanding the above, in case of continuing relationship, if the situation warrants, as for examples if the subscribers profile is inconsistent with the investment through subsequent contributions, a re-look on subscribers profile is to be carried out.

9.5.3 For the high-risk profiles, like for subscribers who are non - residents, high net worth individuals, politically exposed persons (PEPs), and those with adverse reputation as per available public information who need higher due diligence, KYC procedures should ensure higher verification and counter checks.

9.6 Risk assessment for New Business Practices/Developments:

9.6.1 Reporting Entities shall pay special attention to money laundering threats that may arise from

- a) New business practices including new delivery mechanisms
- b) Use of new or developing technologies for the pension schemes regulated/administered by the PFRDA

9.6.2 Reporting Entities shall undertake the above risk assessment exercise, prior to the use of such practices and technologies and shall take appropriate measures to manage and mitigate the risks.^[b]

10. Simplified Due Diligence (SDD)

10.1 Simplified measures as provided under clause (d) of sub-rule (1) of Rule 2 of PML Rules are to be applied by the reporting entities in case of accounts opened under APY where the account is classified as Low Risk.

However, Simplified Client Due Diligence measures are not acceptable whenever there is a suspicion of money laundering or terrorist financing or where specific high-risk scenarios apply, based on the Risk Assessment/categorization policy of the reporting entities.

10.2 The list of simplified due diligence documents are specified in clause (d) of sub-rule (1) of Rule 2 of the PML Rules.

11. Enhanced Due Diligence (EDD)

11.1 Enhanced Due Diligence as mentioned in Section 12AA of PML Act shall be conducted for high-risk categories of subscribers.

11.2 Reporting entities should examine, as far as reasonably possible,—unusual patterns of transactions, which have no apparent economic or lawful purpose. Where the risks of money laundering or terrorist financing are higher, reporting entities should be required to conduct enhanced due diligence measures, consistent with the risks identified.

11.3 Reporting entities shall

- 11.3.1 Verify the identity of the subscriber preferably using Aadhaar subject to the consent of subscriber or;

11.3.2 Verify the subscriber through other modes/ methods of KYC as specified through circulars / guidelines issued by the Authority from time to time.

11.4 Reporting entities shall examine the ownership and financial position, including subscriber's source of funds commensurate with the assessed risk of subscriber and his/her profile.

12. Sharing KYC information with Central KYC Registry (CKYCR)

12.1 Government of India has notified the Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India (CERSAI), to act as, and to perform the functions of the CKYCR vide Gazette Notification No. S.O. 3183(E) dated November 26, 2015.

12.2 The Reporting entities are required to perform the CKYCR related functions in the manner as prescribed under the PML Rules. For the purpose of performing such functions the REs are required to get registered with CERSAI. Presently, under the NPS architecture the Reporting entities registered under regulation 3(1)(i) and regulation 3(1)(ii) of Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) Regulations, 2018 shall register themselves with CERSAI. Further, REs already registered with CERSAI under another financial sector regulator are not required to register themselves with CERSAI again, and may use such registration with CERSAI as reporting entities under PFRDA as well.

12.3 Where a subscriber submits a "KYC identifier" for KYC, the reporting entities shall retrieve the KYC records from CKYCR. In such case, the subscriber shall not submit the KYC records unless there is a change in the KYC information required by reporting entities as per Rule 9(1C) of PML Rules.

12.4 If the KYC identifier is not submitted by the subscriber, reporting entities shall search (with certain credentials) for the same on CKYCR portal and record the KYC identifier of the subscriber, if available.

12.5 If the KYC identifier is not submitted by the subscriber or not available in the CKYCR portal, reporting entities shall capture the KYC information in the manner as prescribed under the PML Rules and as per the KYC Template stipulated for Individuals. The KYC template for 'individuals' and the 'Central KYC Registry Operating Guidelines 2016' for uploading KYC records on CKYCR finalised by CERSAI are available at www.ckycindia.in

12.6 Reporting entities shall file the electronic copy of the subscriber's KYC records with CKYCR within 10 days after the commencement of account-based relationship with a subscriber as per the guidelines / instructions / circulars by PFRDA from time to time.

12.7 Once "KYC Identifier" is generated/ allotted by CKYCR, the reporting entities shall ensure that the same is communicated immediately to the respective subscriber in a confidential manner, mentioning its advantage/ use to the subscriber.

12.8 The following details need to be uploaded on CKYCR if Verification / Authentication is being done using Aadhaar:

12.8.1 For online Authentication,

- a) The redacted Aadhar Number (Last four digits)
- b) Demographic details

c) The fact that Authentication was done

12.8.2 For offline Verification

a) KYC data

b) Redacted Aadhaar number (Last four digits)

12.9 At the time of periodic updation, it is to be ensured that all existing KYC records of subscriber are incrementally uploaded as per the extant CDD standards. Reporting entities shall upload the updated KYC data pertaining to active pension accounts against which "KYC identifier" are yet to be allotted/generated by the CKYCR.

12.10 Reporting entities shall not use the KYC records of the subscriber obtained from Central KYC Records registry for purposes other than verifying the identity or address of the subscriber and should not transfer KYC records or any information contained therein to any third party as per Rule 9(1F) of PML rules unless authorised to do so by the subscriber or PFRDA or by the Director(FIU-IND). Reporting entity shall ensure that in case of accounts that have been opened prior to operationalisation of CKYCR, the KYC records are updated in the CKYCR during periodic updation and that the subscriber's accounts are migrated to current Customer Due Diligence Standards (CDD)

12.11 Reporting entity shall submit the MIS related to the CKYC data upload/ download etc. to PFRDA as stipulated from time to time.

13. Reliance on third party KYC

13.1 For the purposes of KYC norms under clause 8, while reporting entities are ultimately responsible for subscriber due diligence and undertaking enhanced due diligence measures, as applicable, reporting entities may rely on a KYC done by a third party subject to the conditions specified under sub-rule (2) of rule (9) of the PML Rules.

13.2 Reporting entities can utilize the SEBI KRA for KYC in accordance with PFRDA circular PFRDA/2019/16/PDES/2 dated 23rd September 2019 (**Annexure 4**)

13.3 The ultimate responsibility for relying on third party KYC is with the REs.

14. Pension accounts of Politically Exposed Persons (PEPs)

14.1 It is emphasized that proposals of Politically Exposed Persons (PEPs) in particular requires examination by senior management of RE.

14.2 Reporting entities are directed to lay down appropriate on-going risk management procedures for identifying and applying enhanced due diligence measures on an on-going basis to PEPs and customers who are family members, close relatives/associates of PEPs^[b]. These measures are also to be applied to pension accounts of which a PEP is the beneficiary / nominee.

14.3 If the on-going risk management procedures indicate that the subscriber or beneficiary is found to be PEP or subsequently becomes PEP, the senior management should be informed on this business relationship and apply enhanced due diligence measures on such relationship.

14.4 Reporting entities to take reasonable measures to determine whether the beneficiaries of a pension account are PEPs at the time of the exit, and should ensure the internal controls are in

place. The reporting entity that processes exit request should apply risk-based monitoring of such withdrawal to determine if the recipient of the funds is a PEP.

14.5 Reporting entities shall undertake reasonable measures to establish the source of wealth and the source of funds of customers identified as PEPs.^[b].

15. Implementation of Section 51A of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (UAPA)

15.1 Section 51A of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967(UAPA), relating to the purpose of prevention of, and for coping with terrorist activities was brought into effect through UAPA Amendment Act, 2008. In this regard, the Central Government has issued an Order dated 2nd February 2021 detailing the procedure for the implementation of Section 51A of the UAPA.

15.2 The reporting entities should not open pension account of a subscriber whose identity matches with any person in the UN sanction list and those reported to have links with terrorists or terrorist organizations.

15.3 Reporting entities shall periodically check MHA website for updated list of banned individuals.

15.4 Reporting entities shall maintain an updated list of designated individuals in electronic form and run a check on the given parameters on a regular basis to verify whether designated individuals are holding any pension accounts. An updated list of individuals and entities which are subject to various sanction measures as approved by Security Council Committee established pursuant to UNSC 1267 can be accessed regularly from the United Nations website at https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list and UNSC 1988 can be accessed regularly from the United Nations website at <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials>.

15.5 By virtue of Section 51A of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (UAPA), the Central Government is empowered to freeze, seize or attach funds of and/or prevent entry into or transit through India any individual or entities that are suspected to be engaged in terrorism. [The list is accessible at website <http://www.mha.gov.in>]. To implement the said section an order reference F. No. 14014/01/2019/CFT dated 2nd February, 2021 has been issued by the Government of India. The salient aspects of the said order with reference to insurance sector would also be applicable to NPS / NPS Lite / APY or any other scheme regulated or administered by PFRDA.

15.6 The list of Nodal Officers for UAPA is available on the website of Ministry of Home Affairs.

15.7 For the purpose of implementation of Section 51A of UAPA, PFRDA vide Circular No. PFRDA/2023/12/REG-POP/04 dated 20.03.2024, has nominated '*Head of Department of Regulation Contribution Management*' as the UAPA Nodal Officer from PFRDA ^[d].

16. Prospects residing in the jurisdiction of countries identified as deficient in AML/CFT regime

Reporting entities are required to:

16.1 The Reporting Entity shall specifically apply enhance due diligence(EDD) measures, proportionate to the risks, to business relationships and transactions with individual from countries for which this is called for by the FATF.^[b]

16.2 Pay special attention to unusual contributions, especially those which do not have apparent economic or visible lawful purpose. In all such cases, the background and purpose of such

transactions will as far as possible, have to be examined and written findings have to be maintained for assisting competent authorities.

16.3 Agents / intermediaries / employees to be appropriately informed to ensure compliance with this stipulation.

16.4 Go beyond the FATF statements and consider publicly available information when identifying countries which do not or insufficiently apply the FATF Recommendations.

16.5 Take similar measures on countries considered as high risk from terrorist financing or money laundering perspective based on prior experiences, transaction history or other factors (e.g., legal considerations, or allegations of official corruption).

17. Reporting Obligations

17.1 NPS being an unbundled architecture where Central Recordkeeping Agency (CRA) maintains the records centrally for all the transactions, CRA is responsible for filing of reports to Director, FIU-IND in accordance with PML Rules.

17.2 In addition to above, RE shall also furnish to the Director, Financial Intelligence Unit- India (FIU-IND), information referred to in Rule 3 of the PML Rules in terms of Rule 7 thereof.

Explanation: In terms of Third Amendment Rules notified in September 22, 2015 regarding amendment to sub rule 3 and 4 of rule 7, Director, FIU- IND shall have powers to issue guidelines to the reporting entities for detecting transactions referred to in various clauses of sub-rule (1) of rule 3, to direct them about the form of furnishing information and to specify the procedure and the manner of furnishing information.

17.3 The reporting formats and comprehensive reporting format guide, prescribed/ released by FIU-IND and Report Generation Utility and Report Validation Utility developed to assist reporting entities in the preparation of prescribed reports shall be taken note of. The editable electronic utilities to file electronic Cash Transaction Reports (CTR) / Suspicious Transaction Reports (STR) which FIU-IND has placed on its website shall be made use of by reporting entities which are yet to install/adopt suitable technological tools for extracting CTR/STR from their live transaction data. The Principal Officers of those reporting entities, whose all branches are not fully computerized, shall have suitable arrangement to cull out the transaction details from branches which are not yet computerized and to feed the data into an electronic file with the help of the editable electronic utilities of CTR/STR as have been made available by FIU-IND on its website <http://fiuindia.gov.in>.

17.4 Red Flag Indicators issued by FIU-IND also be taken into account for Suspicious Transaction, wherever necessary.

17.5 While furnishing information to the Director, FIU-IND, delay of each day in not reporting a transaction or delay of each day in rectifying a mis-represented transaction beyond the time limit as prescribed in the Rule shall be constituted as a separate violation. Reporting entities shall not put any restriction on operations in the accounts where an STR has been filed. Reporting entities shall keep the fact of furnishing of STR strictly confidential. It shall be ensured that there is no tipping off to the subscriber at any level. Confidentiality requirement does not inhibit information sharing among entities in the group.^[b]

17.6 Robust software, throwing alerts when the transactions are inconsistent with risk categorization and updated profile of the subscribers shall be put in to use as a part of effective identification and reporting of suspicious transactions.

17.7 Reporting entities shall leverage the broadest number of data points / records available with them in implementing alert generation systems to assist in identifying and reporting suspicious activities.

17.8 Reporting entities should not enter into arrangement with any unregulated entity which may have the effect of directly or indirectly impairing any reporting obligations of the reporting entities.

18. Record Keeping

18.1 In view of Rule 5 of the PML rules, the reporting entities, its Designated Director, Principal Officer, employees are required to maintain the information/records of types of all transactions [as mentioned under Rules 3 and 4 of PML Rules 2005] as well as those relating to the verification of identity of subscribers for a period of five years. The records referred to in the said Rule 3 shall be maintained for a period of five years from the date of transaction. Records pertaining to all other transactions, (for which reporting entities are obliged to maintain records under other applicable Legislations/Regulations/Rules) reporting entities are directed to retain records as provided in the said Legislation/Regulations/Rules but not less than for a period of five years from the date of end of the business relationship with the subscriber.

18.2 Records can be maintained in electronic form and/or physical form. In cases where services offered by a third-party service providers are utilized,

18.2.1 Reporting entities shall be satisfied about the organizational capabilities, and that technology, systems and measures are in place to safeguard the privacy of the data maintained and to prevent unauthorized access, alteration, destruction, disclosure or dissemination of records and data.

18.2.2 The physical or electronic access to the premises, facilities, automatic data processing systems, data storage sites and facilities including back-up sites and facilities and to the electronic data communication network of the service provider is controlled, monitored and recorded.

18.2.3 The service provider has established standard transmission and encryption formats and non-repudiation safeguards for electronic communication of data.

18.2.4 It should also be ensured that the provisions under the relevant and extant data protection statutes are duly complied with.

18.3 Reporting entities should implement specific procedures for retaining internal records of transactions, to enable them to comply swiftly with information requests from the competent authorities. Such records must be sufficient to permit reconstruction of individual transactions (including the amounts and types of currency involved (if any) so as to provide, if necessary, evidence for prosecution of criminal activity. Reporting entities should retain the records of those accounts, which have been settled by claim, for a period of at least five years after that settlement.

18.4 In situations, where the records relate to ongoing investigations, or transactions which have been the subject of a disclosure, they should be retained until it is confirmed that the case has been closed. Wherever practicable, reporting entities are required to seek and retain relevant identification documents for all such transactions and report such transactions of suspicious funds.

18.5 In case of subscriber identification, data obtained through the subscriber due diligence process, account files and business correspondence should be retained (physically or electronically) for at least five years after the business relationship is ended.

19. Monitoring of Transactions

19.1 Regular monitoring of transactions is vital for ensuring effectiveness of the KYC/AML/CFT procedures. This is possible only if the reporting entities have an understanding of the normal activity of the subscriber so that it can identify deviations in transactions/ activities.

19.2 Reporting entities shall pay special attention to all complex large transactions/ patterns which appear to have no economic purpose. The reporting entities may specify internal threshold limits for each class of subscriber accounts and pay special attention to transactions which exceeds these limits. The background including all documents/ office records/ memorandums/ clarifications sought pertaining to such transactions and purpose thereof shall also be examined carefully and findings shall be recorded in writing. Further such findings, records and related documents shall be made available to auditors and also to PFRDA/ FIU-IND/ other relevant Authorities, during audit, inspection or as and when required. These records are required to be maintained and preserved for a period of five years from the date of transaction.

19.3 The Principal Officer of the reporting entities shall monitor and ensure that Suspicious transactions shall be regularly reported to the Director, FIU- IND.

19.4 Further, the compliance cell of reporting entities shall randomly examine a sample of transactions undertaken by subscribers to comment on their nature i.e., whether they are in nature of suspicious transactions or not.

20. Repeal provisions

From the date of coming into force of these guidelines, the instructions / guidelines contained in the circular mentioned in the appendix, issued by PFRDA shall stand repealed.

21. Notwithstanding anything contained in these guidelines, in case of any issue with respect to interpretation of any provision of these guidelines, the provisions/ directives of the FIU India, the PML Act / the Aadhaar Act / Income Tax Act and their rules as amended from time to time, will prevail.

22. The reporting entities are also advised to refer to the extant relevant directives, rules, laws and provisions mentioned therein on a regular basis to broadly understand, apply, update their KYC/AML /CFT programme and implement the provisions of this guideline.

Annexures	Circular Number and Date	Para No. under Part C	Subject
Annexure 1	NA	4.5	Certificate of Compliance
Annexure 2	PFRDA/2020/46/SUP-CRA/18 Dated 06.10.2020	8.1.5.4	Video based Customer Identification process (VCIP) for NPS
Annexure 3	PFRDA/2021/05/PDES/05 Dated 03.02.2021	8.1.5.6	Digilocker for National Pension System services
Annexure 4	PFRDA/2019/16/PDES/02 Dated 23.09.2019	13.2	Utilization of SEBI KRAs by PoPs for onboarding of subscriber in National Pension System (NPS)

Annexure 1
(As specified in Para 4.5)

Certificate of Compliance with respect to KYC/AML/CFT

Name of Reporting Entity:

Financial Year:

We do hereby submit that (name of the reporting entity) has fully complied with all the norms laid down by PFRDA and with the extant PML Act / PML Rules.

Designated Director (Name and Signature along with the stamp of the entity)

(* to be submitted along with submission of Annual Compliance Certificate)



पेंशन निधि विनियामक और
विकास प्राधिकरण
बी-14/ए, छत्रपति शिवाजी भवन,
कुतुब संस्थागत क्षेत्र,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016
दरभाष : 011-26517501, 26517503, 26133730
फैक्स : 011-26517507
वैबसाइट : www.pfrda.org.in

**PENSION FUND REGULATORY
AND DEVELOPMENT AUTHORITY**

B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan,
Qutub Institutional Area,
Katwaria Sarai, New Delhi-110016
Ph : 011-26517501, 26517503, 26133730
Fax : 011-26517507
Website : www.pfrda.org.in

CIRCULAR

CIR No.: PFRDA/2020/46/SUP-CRA/18

Date: October 06, 2020

To,

All stakeholders under NPS

Subject: Video based Customer Identification Process (VCIP) for NPS

PFRDA in its endeavor to make the subscriber on-boarding, exit, processing of service requests and contribution deposits seamless and subscriber friendly, has been constantly introducing new modes of subscriber KYC and authentication processes such as OTP/ eSign, Offline Aadhaar based KYC, third party reliance for KYC, Paperless on-boarding, e- exit for eNPS Subscribers, e Nomination, D Remit etc.

2. In continuation of such efforts, it has now been decided to permit intermediaries registered with PFRDA to use Video based Customer Identification Process (VCIP) for the purpose of on-boarding, exit or any other service request related to NPS.

3. The envisaged benefits of VCIP are as under -

- i. In the new normal world post COVID, VCIP overcomes the challenges of remote presence, limited mobility, contactless services, social distancing norms etc.
- ii. It eases the process of on-boarding/ exit / other service requests, as the Subscriber verification is carried out without the need of physical presence of Subscribers before Point of Presence (PoPs)/Nodal officers.
- iii. It optimizes the turnaround time of account opening, execution of exit and processing of other service requests.

iii. It provides the opportunity for expanding the reach of NPS since account opening process is paperless, instantaneous, convenient and cost effective.

iv. Several PoPs which have recently been registered with PFRDA are functioning online and do not have any physical presence across locations. VCIP shall enable these PoPs to source Subscribers under NPS with greater ease, service them and carry out exit process with proper due diligence.

v. Since OTP/eSign based authentication is a part of VCIP, the process is paperless.

4. While the PoPs registered with other Financial Sector Regulators may comply with VCIP guidelines issued by those regulators, the PoPs which are registered solely with PFRDA and wish to adopt VCIP, shall adhere to the process given in the **Annexure**.

5. The PoPs, in association with Central Record Keeping Agencies(CRAs) are advised to build an online platform for developing VCIP in the interest of subscribers at the earliest.

6. The duties and responsibilities of PoPs are detailed in Regulation 15 of PFRDA (Point of Presence) Regulations 2018.



(K. Mohan Gandhi)
General Manager

Annexure

Basic features of VCIP under NPS

A. Mobile Application based VCIP

1. PoPs implement their own mobile application for undertaking VCIP.
2. This application shall facilitate taking photograph, scanning of documents, upload of OVD (Officially Valid Document) through Digilocker/other OVDs as specified by PFRDA, capturing the signature during VCIP in live environment.
3. The usage of the application is only by authorized person of the PoP and not by any 3rd party.
4. The application shall also have features of random action initiation for Subscriber's response to establish that the interactions are not prerecorded. Further, the application should have time stamping and geo-location tagging to ensure physical location in India etc.
5. PoPs shall ensure that the process is seamless, real-time, secured, end-to-end encrypted audio-visual interaction with the subscriber and the quality of the communication is adequate to allow for establishing the identity of customer beyond doubt.
6. PoPs shall carry out the liveliness check in order to guard against spoofing and other fraudulent manipulations. PoPs shall carry out software and security audit and validation of their App performing VCIP.
7. PoPs can add additional safety and security features, other than prescribed above.
8. PoPs should ensure Instant bank account verification through penny drop, to verify the beneficiary bank details is mandatory.
9. The photo/signature of the subscriber is to be uploaded during VCIP while On-boarding. During exit, the withdrawal document along with KYC needs to be uploaded for the purpose of issuing annuity by Annuity Service Providers. The soft copies of CSRF needs to be generated and shared with CRA and the subscribers. For rest of services, the subscribers can upload required documents for verification by PoPs through VCIP.

B. Non Mobile Application Based VCIP:

1. PoPs through their authorized official, specifically trained for this purpose, may undertake live VCIP of an individual subscriber/applicant, after obtaining their informed consent. The activity log along with the credentials of the person performing the VCIP shall be stored securely along with time stamping for easy retrieval and scrutiny.
2. The VCIP shall be only in a live environment.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "S. H.", is placed over a blue horizontal line.

3. The VCIP shall be clear and undisturbed. Further, the NPS Subscriber/applicant in the video shall be easily re-cognizable and shall not be covering their face in any manner.
4. The VCIP process shall include random question and response from the NPS Subscriber/applicant including displaying the OVD as specified by PFRDA in its CSRF/Exit Form/Service request forms.
5. PoPs shall ensure that photograph of the Subscriber provided in KYC documents/PRAN card/CSRF, as the case may be, matches with the Subscriber during VCIP.
6. Video call must be from the domain of the concerned PoP and not from a third-party sources.
7. PoPs should ensure Instant bank account verification through penny drop, to verify the beneficiary bank details is mandatory.
8. PoPs can add additional safety and security features, other than prescribed above.
9. The photo/signature of the subscriber is to be uploaded during VCIP while On-boarding. During exit, the withdrawal document along with KYC needs to be uploaded for the purpose of issuing annuity by Annuity Service Providers. The soft copies of CSRF needs to be generated and shared with CRA and the subscribers. For rest of services, the subscribers can upload required documents for verification by PoPs through VCIP.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "John", is written over a blue horizontal line.



पेंशन निधि विनियामक और
विकास प्राधिकरण
बी-14/ए, छत्रपति शिवाजी भवन,
कुतुब संस्थागत क्षेत्र,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26517501, 26517503, 26133730
फैक्स : 011-26517507
वेबसाईट : www.pfrda.org.in

**PENSION FUND REGULATORY
AND DEVELOPMENT AUTHORITY**
B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan,
Qutub Institutional Area,
Katwaria Sarai, New Delhi-110016
Ph : 011-26517501, 26517503, 26133730
Fax : 011-26517507
Website : www.pfrda.org.in

Circular

Circular No: PFRDA/2021/5/PDES/5

Date: 3rd February 2021

To
Central Recordkeeping Agencies
Points of Presence &
National Pension System Trust

Subject: DigiLocker for National Pension System services

1. Government of India has introduced DigiLocker facility where citizens can get authentic documents/ certificates in digital format from original issuers of these certificates. This key initiative enhances effectiveness of service delivery, making these hassle-free and friendly for the citizens.
2. As per Rule 9(4)(ab) of PML Rules, 2005 for the purpose of client due-diligence (i.e. KYC verification) process, an individual can submit '*any officially valid document or the equivalent e-document thereof containing the details of his identity and address*' to the reporting entity (Points of Presence in case of NPS), along with PAN.
3. In light of the above, CRAs and PoPs are advised to provide DigiLocker as an option for applicants/subscribers to submit documents (Officially Valid Documents available in Digilocker) required for NPS onboarding/sector shifting or exit through digital methods. As the documents/ certificates in Digilocker are from the original issuers, the certificates / documents directly obtained from DigiLocker would not also require further verification.
4. The details/process for integration with DigiLocker is Annexed.


(Mono MG Phukon)
General Manager

Annex

Implementation of DigiLocker in Government Departments for Citizen Centric Services

The entities need to register themselves as mentioned below and refer to the technical documents for integration of NPS services with DigiLocker.

1. **Registration:** Authorized officials have to visit the 'Partner portal' of DigiLocker ([url:https://partners.digilocker.gov.in](https://partners.digilocker.gov.in)) and register as an Issuer, requester or verifier.
2. **Technical resource for integration:** API specification documents are available at below link: <https://digilocker.gov.in/resource-center.html>
3. For any Technical support/ guidance please write to: partners@digitallocker.gov.in
4. Contact details of officials for escalation:

Level-1

Sh. Durgaprasad Dash,
Addl. General Manager,
email: durga@digitalindia.gov.in

Level-2

S Debabrata Nayak,
Project Director, NeGD
email: dnayak@digitalindia.gov.in





PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

CIRCULAR

CIR No.: PFRDA/2019/16/PDES/2

Date: 23rd September 2019

To
All Stakeholders under NPS

Subject: Utilization of SEBI KRAs by PoPs for onboarding of subscriber in National Pension System (NPS).

1. The Points of Presence (PoPs) registered under PFRDA (PoP) Regulations, 2018 acts as the interface between the subscriber and the NPS architecture while the PoP performs its functions related to registration, Know Your Customer (KYC) verification, receiving contributions and servicing subscribers' requests.
2. Few PoPs which are also registered with SEBI and having access to KRA have requested PFRDA to permit them to utilize SEBI KRA for onboarding subscribers in NPS as this would eliminate duplication of KYC processes and will facilitate ease of onboarding subscribers in NPS.
3. The Authority after due examination of the requests has now approved that the PoPs having access to SEBI KYC Registration Agencies (KRAs) may utilize the same as an additional method of KYC authentication while onboarding subscribers in NPS. When a PoP adopts this method for completing KYC, the PoP (reporting entity) would be considered to be relying on third party for 'client due diligence' as provided under Sub rule 2 of Rule 9 of PML (Maintenance of Records) Rules, 2005 (as amended for time to time) and shall be bound by the conditions mentioned thereunder. SEBI has provided its no objection to allow PFRDA registered Points of Presence to access the KYC information from the KRA system vide its letter no SEBI/HO/MIRSD/DOP/OW/P/21350/2019 dated 20th August 2019.
4. It may be noted that PoP will be ultimately responsible for the 'client due diligence' and undertaking enhanced due diligence measures, as applicable under the PML Rules and the PFRDA (PoP) Regulations 2018 while onboarding subscriber in NPS.


 A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'P. Phukon', is positioned above the printed name.

(Mono MG Phukon)
General Manager

PART IV

List of circulars consolidated in the Master Circular – Annexure I

Sl no	Circular no	Subject	Date
1.	PFRDA/2023/05/REG-POP/02 ^[b]	Guidelines on Know Your Customer / Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism (KYC/AML/CFT)	12 th October 2023
2.	PFRDA/2023/5/REG-POP/05 ^[c]	--Do--	7 th August 2023
3.	PFRDA/16/05/112/0018/2020-REG-POP ^[a]	--Do--	7 th June 2023
4.	PFRDA/2023/12/REG-POP/04 ^[d]	Designation of Nodal Officer of PFRDA for implementation of Section 51A of Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967	20 th March 2023
5.	PFRDA/2023/05/REG-POP/02	Guidelines on Know Your Customer / Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism (KYC/AML/CFT)	23 rd January 2023
6.	PFRDA/2021/05/PDES/05	Digilocker for National Pension System services	03 rd February 2021
7.	PFRDA/2020/46/SUP-CRA/18	Video based Customer Identification Process (VCIP) for NPS	06 th October 2020
8.	PFRDA/2019/16/PDES/02	Utilization of SEBI KRAs by PoPs for onboarding of subscriber in National Pension System (NPS)	23 rd September 2019

List of Circulars Rescinded and Archived in the Master Circular - Annexure II

Sl no	Circular no	Subject	Date	Rescinded on
1.	PFRDA/2021/31/SUP-POP/4	Central KYC Records Registry (CKYCR)	26 th July 2021	23 rd January 2023
2.	PFRDA/2021/11/SUP-POP/1	Central KYC Records Registry (CKYCR)	22 nd April 2021	23 rd January 2023
3.	PFRDA/2019/14/PDES/1	Point of Presence (PoP) relying on third party client due diligence (KYC) for onboarding subscribers in NPS	24 th July 2019	23 rd January 2023
4.	PFRDA/8/PoP/122	Operationalization of Central KYC Registry and providing KYC information by Aggregator	29 th September 2016	22 nd April 2021
5.	PFRDA/08/PoP/122	Providing KYC information to Central KYC (CKYC) Registry by PoP	14 th July 2016	22 nd April 2021
